जरूरत है और देश को इस विविधता के आधार पर ही सांस्कृतिक एकता का भाव और अनुभूति मिल सकती है। आज यह स्वर्णिम अवसर है, आप इन दो भाषाओं से शुरुआत कर दीजिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इसे अगले हफ्ते लाएं या अगले सत्र में लाएं, लेकिन इसे पास कर दीजिए और हम आपके साथ हैं। मुझे मालूम है कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस विषय में बहुत सहानुभूति रखते हैं, बहुत संवेदन के साथ उन्होंने हमको बार-बार यह कहा है कि हां, यह दृष्टि है, जिसको हम स्वीकार करना चाहते हैं। किंतु विलंब जो होता है, वही मनोबल को क्षीण कर देता है। आज उस मनोबल को बनाए रखने की जरूरत है। आज उस मनोबल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, आज देश को जोड़ने के लिए मैं यह चाहता हूं कि हो सकता है यह बहस अब कई महीनों बाद आए, एक-दो महीने लग जायेंगे तब तक शायद सरकार अपना निर्णय हमको दे पाएगी और जब यह निर्णय हमको देगी तब लगेगा कि देश में सांस्कृतिक दृष्टि से एक नया मोड़ आया है। उस नए मोड़ की हमको अगली बार तक प्रतीक्षा रहेगी।

मैं आपका आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब इस विधेयक पर आगे चर्चा शुक्रवार, दिनांक 17 मई, 2002 को जारी रहेगी।

अब सदन निजी संकल्प पर चर्चा प्रारंभ करेगा। डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

RIGHT TO SHELTER, RIGHT TO EMPLOYMENT AND RIGHT TO WORK

DR. T. SUBBARAMI REDDI: Sir, before I move my Resolution, let me say that this Resolution is about labour and housing. Two Ministers are concerned with it; one, the Labour Minister, and the other, the Housing Minister. The Housing Minister is not there.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं।

श्री बालकवि बैरागी : उपसभाध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं और जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move:

> "That this House recommends to the Government that the 'Right to Shelter, 'Right to Employment' and 'Right to Work' be included in the Constitution as Fundamental Rights."

Sir, I am moving this Resolution because even after 50 years of Independence, we have not been able to provide the basic needs and amenities, *i.e.* shelter, employment and work, to the common people of India. Education and drinking water have also not been provided to a large section of our society in the country. Therefore, the aim of my bringing this Resolution is to give a constitutional guarantee to each and every Indian, irrespective of caste, creed and colour. Shelter, employment and work should be guaranteed as Fundamental Rights. I will first speak about what has been happening in the field of education, and then I will come to shelter.

Sir, in 1998, the hon. Prime Minister, while delivering his speech from the Red Fort, had committed that in the next ten years, ten crore unemployed people would be provided employment, which meant, one crore unemployed would be provided employment every year. Even the Rashtrapatiji had committed later in his Address that one crore unemployed would be provided employment every year. But this year, they have been silent on this subject. What to talk of giving employment to one crore, I don't think even ten lakh people have been provided employment by this Government. You must also remember that unemployment is increasing at the rate of 2.4% annually, whereas the increase in employment opportunities is a mere one per cent. There is still a gap of 1.4% here.

Sir, the International Labour Organisation, in its World Employment Report, has drawn attention to industrial revival, jobless growth, deteriorating quality and decline of employment, elasticity of market-friendly economic growth process in the developing countries, including India. This means, that the growth of gainful employment is lagging behind the industrial as well as the economic growth rate. This was mentioned in the report of the International Labour Organisation. Unfortunately, no improvement has taken place. Frustration is growing in the country. Your son becomes a graduate; he comes out of the college. But he doesn't get a job. He gets frustrated. Today, the youth is going on the wrong track. The main reason behind this phenomenon is unemployment. How can we solve this problem? The problem of unemployment can be tackled by creating more employment. For creating more jobs, industrial growth is very important. Of course, agricultural growth is also equally important for creating work. But what is happening today? Almost 90% of our industry is sick today, whether it is the textiles, steel, cement, sugar or the chemicals sector. No new industries are coming up. You look at the statistics and find out how

many new industries have come up in the last five years. So, without any new industries, and, with the present industrial sickness, it is impossible to create any employment opportunities. Then, my next point is this.

Sir, we have to bear in mind that the number of unemployed people is rising very sharply. As per estimates, in 1999-2000, there were 9 million unemployed people in our country, which would reach 25.94 million in 2007; and, by 2012, the number of unemployed people would reach 37.42 million. That means, even though the country's real GDP would be registering a six per cent annual growth, there would be a 1.8 per cent yearly increase in labour force. Sir, as proposed, by the end of the Tenth Plan, we are likely to achieve a GDP growth of about eight per cent. The number of unemployed people would initially rise to 19.72 million by 2007, before marginally dropping to 17.94 million by 2012. Of course, these statistics are not going to help us, but, still, it is our duty to quote it here on this occasion.

Sir, as per the Task Force on Employment Opportunities, headed by Dr. Montek Singh Ahluwalia, the number of job seekers in our country would be increasing from 406 million, that means, 40 crores, in 1999-2000, to 462 million, *i.e.,* 46 crores, by 2007, and 50 crores by 2012, assuming an annual growth of 1.8 per cent. In a nutshell, I must say that, every year, we need to create additional jobs to the tune of 8.3 million. This is a must. What the hon. Prime Minister announced was just one million jobs. The thought is very good, the philosophy is good. But the Government has failed, as it is not in a position to create jobs. On the one side, we say that the citizens should have the fundamental right to job or employment, but, on the other, as of today, we find that in every sector of our economy, we are not able to create any potential employment.

Sir, I have to point out one more thing. Till recently, the software industry was growing very well; the computer industry was doing very well. As a result of that, the young people, after doing their graduation, were getting jobs in India and abroad. But, unfortunately, after the 11th September incident in USA, this industry has totally collapsed. The software industry has virtually collapsed in our country. It is very unfortunate. We were already suffering, due to the problem of unemployment. But this has added to our injury.

Sir, I have already mentioned that, today, the industrial growth is going in the reverse direction. Normally, in any country, the industrial growth

must go up. But it is going down in our country. The negative industrial growth in the country is causing irreparable damage to the citizens of our country. They are not able to have a comfortable life, as they don't have potential employment opportunities. As far as exports are concerned, we are not able to register a growth in our exports also. If we achieve some growth in our exports, we would be in a comfortable position. You take the statistics of exports, you find that exports are declining.

Sir, now, I must point out that when Shrimati Indira Gandhi was our Prime Minister, she dreamt that she must provide *roti, kapada aur makan* to every citizen of this country. She felt that India, being the biggest democratic country in the world, the people of the world should feel proud of our country's position. Therefore, she took so many drastic measures like nationalisation of banks. She took various steps to provide shelter and employment so that the poor people of this country were helped. After the banks were nationalised, she gave directions to the banks that they must give top priority to the poor people in giving loans. She formulated the Twenty-Point Programme and implemented it through the nationalised banks. This helped the poor people of this country. In addition to that, it was she who introduced a number of schemes like the Jawahar Gram Samridhi Yojana, Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana, Employment Assurance Scheme, etc. When Shri Rajiv Gandhi became the Prime Minister of this country, he tried his best to give a boost to those schemes. The objective of those schemes was to create potential employment so that work is given to the people. Apart from giving jobs to graduates in some industries, people were given loans by banks for taking up self-employment schemes. There were a number of schemes. But, subsequently, the statistics show that we were not able to create many jobs. During that glorious period, the graduates, undergraduates and uneducated people in the rural areas were able to get employment.

Now, day-by-day, it is going down. Here, my submission is, the most important is, where are we lagging behind? Everything in our country, is theoretical. There is a Twenty-Point Programme under which our banks must provide loans. Self-employment schemes are there to encourage the unemployed graduates or uneducated people. Banks must give loans to rickshaw-pullers for buying rickshaws and to uneducated people for setting up boutique shops, and other things. But, unfortunately, nothing is happening. This is also one of the reasons why we are not able to provide employment.

At present, a number of employment generation schemes are being followed and processed. Sir, I have told in a general way that every person expects to get employment. Every worker in the rural areas, expects to get work. In rural areas, the agricultural workers want to get work. So, everybody knows that there is a problem and everybody expects that this problem should be solved by the Government, by the voluntary organisations, by the banks, by the societies with a commitment, conviction, determination and dedication. But nothing is happening. That is one of the main reasons where no progress is taking place.

For instance, a national bank takes a decision,. "Yes, in our total business, as per the Government's direction, under the Twenty-Point Programme, we. must provide some facility to the unemployed graduates and uneducated men to do some small business." This is how you can create employment, but nothing is happening. We can't blame an individual, but the system itself.

Now, it is the duty of the Government to instruct the banks and financial institutions and organisations which are associated with employment schemes to monitor and to commit themselves for this work and to specifically inform the Government as to how much progress they have made. The bank's job is not simply giving loans or accepting deposits. It is not so. Out of their profits, some amount should be earmarked for this national service. They should not do only the commercial business. They must give interest-free loans and they must enlighten the people, on various loan schemes for the purpose of employment.

These banks are working under the Finance Ministry and they should make it a point. That is why, I have moved this Bill. This Bill provides for getting employment is a fundamental right. Then, it becomes the duty of the Government to provide him employment. Of course, I do know that it may not be possible for the Government to provide sufficient money in the Budget for creating employment or create work and all these things. But these are the methods, through which, it is quite possible.

Regarding employment, one more point I would like to suggest. I have an industrial background. Through a legislation, we must make it mandatory for profit-making industries to provide a little more employment opportunities than their actual requirement. They should make this sacrifice for the nation. This is point number one.

Point number two, the Central Government have formulated so many self-employment schemes, so many yojanas, which we see only in the Budget. But nobody knows really how these schemes function. Does anybody have the patience to enlighten the people? Is anybody fortunate enough to really utilise it? Sir, therefore, that also should be done. The Members of Parliament, of both Lok Sabha and Rajya Sabha, should be informed frequently, during and before the Budget Session, as to what they have achieved and how many people they could really help.

The hon. Labour Minister must also monitor. The Labour Minister is not for name sake only, but he has links with every Ministry. He has the right to interfere with every Ministry. He should monitor and coordinate with every Ministry, like the Agriculture Ministry, the Industry Ministry, the Finance Ministry, the Banking Division and other Ministries. I am sure, through his efforts, he should be able to solve unemployment problem.

After employment, the most important thing is shelter. दु:ख की बात है कि हिंदुस्तान में 55 साल की स्वतंत्रता के बाद भी गरीब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं। अगर बारिश होती है तो they sleep on the platforms in the hot sun. They sleep without proper shelter. In this civilised world, this is a ,very shameful and a very sad thing. So, this problem should be looked at by everybody, particularly, the Government, from the human rights angle. And we must help those people who are living without shelter, sleeping under the trees and platforms and suffering in the rain and sun. Sir, our population is growing. It has crossed the 100 crore mark last year. Nothing is being done to provide shelter to the poor people of this country. Every citizen of India has a fundamental right to food, clothing and shelter. There is no shortage of land. But legal restrictions, such as the Coastal Regulation Zone, etc. stand as barriers. Of course, recently this problem has been solved to some extent. Our population is increasing day-by-day. The Rent Control Act is also outdated and imbalanced. Both the owners and the tenants always feel insecure. The owners prefer to keep their houses under lock and key. Drastic steps are needed both at the Central level as well as at the State level to develop the real estate sector. We require 3.3 crore houses, if we want to give reasonable shelter to the people who need it. We need Rs.1,27,000 crores for this purpose. सुनने में तो घबराहट होती है, and constructing 3.3 crore houses is not a joke. But it is quite possible if there is a system, a scientific approach and a rational concept. The Prime Minister has said, हम 10 साल में सबको मकान प्रोवाइड करेंगे। The Prime Minister has assured this. It means if we want to provide 3.3 crore houses in ten years,

we will be required to construct 1.3 million houses every year. He has announced that the Government would construct one million houses every year. But nothing is happening in this area. There is no determination on the part of the Government. Every year we must plan for 1.3 million houses and provide about Rs.12000 crores every year by way of Budgetary support or whatever the way you do it. Then only shall we be able to solve this problem. In conclusion, I would tell you how to solve this problem also. We must bear it in mind that we have got land, we have got manpower and our labour cost is the cheapest in the world. Raw material is available at a lower cost and in abundance. Then why is there this shortage of houses? Sir, if we analyse the problem, we find that for a small family which requires a room and a kitchen, we need 40 sq.ft. of space. The estimated cost of such a house would be about Rs.2 lakhs. We are not able to provide even such houses to the poor people. The Government proposed that they would provide 20 lakh additional units every year -- of course, we need 33 lakh -- by raising money through HUDCO and the NAB controlled HFS. But they are not able to do anything. Sir, I have one more thing to submit. They have announced the Valmiki-Ambedkar Awas Yojana. *(Time-bell)* I will take another five minutes. Normally, on this subject at least one hour is required but I am taking only half-an-hour. I am only giving points. Sir, for the Valmiki-Ambedkar Awas Yojana Rs.1000 crores were planned to be provided and another Rs.1000 crores were to be provided as term loan during the Tenth Five Year Plan. How they are going to provide it, how they are going to do it, nobody knows. They must be doing it. But it is not communicated. So, we will be very happy if the Labour Minister -- though housing is not his subject -- inform us about the schemes which they have and to what extent they have been successful during the last few years.

The House should be informed as to what they had achieved during the last year, how much they had provided, how they are going to do this year, and how are they going to monitor this? If they have this commitment, the people at the lower level will be frightened and they will start doing the work.

Sir, along with shelter, sanitation is also important. It is an unimaginable tragic plight of the people living in the rural and slum areas. What suffering they undergo is just beyond human imagination. It is very unfortunate. In the 21st Century and in this modern age, when the entire world is advancing rapidly, our poor people are still living in a very pathetic condition. Since there is lack of sanitary facilities, they are forced to go

outside for the purpose. As a result, they are suffering from a number of diseases. This also leads to unhygienic conditions in the surrounding areas. Therefore, it is the duty of the Government and the society to give top-most priority to sanitation. At least, we have to provide the minimum, on a priority basis, facilities to these people who are having no shelter today. We find that many of these schemes are only on paper and we do not find much at the ground level. This problem is more acute in the villages and slum areas. Now, what I suggest to the Government is this. It is possible to provide shelter and solve the problem. The Government must take it as a challenge, and provision of shelter to the people should be made as a fundamental right. Why is the Government afraid of giving it the status of a fundamental right? कहां से हम एक लाख इक्कीस हजार करोड़ लाएंगे। The Government thinks that it is not possible to provide 35 lakh houses, every year. But it is possible. How? Sir, to provide Rs. 12,000 crores in a year is not difficult. Now, the Government is able to create the National Highway Development Fund by imposing a cess on the sale of diesel and petrol, and the money is being used for construction of roads. Yes; we agree. The construction of roads is a great asset for the country. Along with this, the basic minimum amenity – shelter – for the poor people living in this country is also very important. So, the Government must consider for setting of a fund for providing shelter to the poor people. You can make it in three phases. In the first phase, you provide shelter to the people who are living under trees, on the pavements, sheds, huts, etc. You provide them with shelter. In the second phase, you take the people belonging to the lower-middle-class who do not have any shelter. Afterwards, in the third phase, you take the people living in the urban slums. If you take it up in a phased manner, constructing 33 lakh houses, with an investment of Rs. 12,000 crores, is not difficult. You can create a separate fund the way in which you have created the fund for the National Highway Development Project. Sir, we have many industries in the country. There are profit-making industries and sick industries. Unfortunately, today, a lot of industries are in trouble. But, still, there are some industries which are doing very well. There should be a legislation that industries must also provide funds for providing shelter not only for their own employees but also for the society. It is not impossible. If every industry contributes a small amount, we can create a fund for this purpose. On the one hand, the Government must help; and, on the other, the fund should be created either through Income-tax or sales-tax or imposition of tax through some other way, for shelter.

Sir, there are banks which are making extraordinary profits. Some banks are making very good profits. The 'Banks' mean, they belong to the public. When banks belong to the public, the profit-making banks should come forward. The Government must make a legislation that the profit making banks must contribute to the proposed fund. The first one is to get money from banks, money from industries – I am sorry, I cannot say, industrialists – and also from the insurance sector. Then, with this money, we should set up a fund, like the National Highways Development Fund. When the Congress Government wanted to open the insurance sector, at that time, the Opposition objected to the idea. Now, the present Government has moved a Bill on this. We don't object to it because we are convinced and we are told by the Government that if the insurance sector is opened up, a lot of funds would come, and the same could be utilised for housing schemes for the poor people. If funds are created by tapping the resources from the insurance sector, banking sector, etc., generating Rs. 612 crores is not an impossible task. It is very, very easy.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब कृपया समाप्त करें

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : समाप्त हो गया। I am just concluding, Sir. I am not reading from papers... *(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब कृपया आप समाप्त करें। आपको फिर जवाब देने का मौका मिलेगा।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, every day, many Members waste a lot of time by repeating the same thing again and again. I am hardly repeating anything. I am just making some good points, based on my experience. In everybody's interest, I am saying that let us make India a glorious country so that we could proudly say that our people are leading a comfortable life. When our graduates come out of colleges, they should be in a position to say, "Yes, we have employment opportunities." They will, thus, not follow the wrong track, and will not trouble the society. Let us ensure that everybody is provided with shelter. **जब सब उठेंगे, सरकार उठेगी, हर इंस्टीट्यूशन उठेगा और दिल से, मन से, शक्ति से उद्भव होगा तो नया गोल्डन ऐरा दिखेगा।** With these words, I request the House to accept this Resolution.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इसमें माननीय मोती लाल वोरा जी की तरफ से एक संशोधन है।

SHRI MOTILAL VORA (Chattisgarh): Sir, my amendment is like this:

> That *for* the words "and Right to Work" the words "Right to Work, Right to Education and Right to potable Water" be *substituted*.

3.00 p.m.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम एक बार नहीं, अनेक बार काम के अधिकार, आवास के अधिकार, रोजगार के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और पानी का अधिकार - इन तमाम अधिकारों को मनुष्य के मूलभूत अधिकारों के रूप मे शामिल करने के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कभी निजी विधेयक के जरिए, कभी निजी प्रस्ताव के जरिए या कभी विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के दौरान, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि यह प्रश्न आज भी वहीं पर खड़ा है और मुझे अफसोस है कि रेड्डी जी की तरह मैं इतनी आशान्वित नहीं हू क्योंकि आजादी के 55 वर्षों के बाद अगर हकीकत यह है कि

कहां तो चिरागा तय था हरेक घर के लिए,
कहां रोशनी मयस्सर नही शहर के लिए।

यह हमारी स्थिति है। इसीलिए माननीय सुब्बा रेड्डी साहब का प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नहीं है। जिन बातों की उन्होंने चर्चा की, जिन अधिकारों की चर्चा की, वे तमाम अधिकार मनुष्य के काम के अधिकार के साथ अंतर्गुंथित हैं। जब हम काम के अधिकार की चर्चा करते हैं तो दुनिया के तमाम मानवतावादी काम के अधिकार को मनुष्य का मूलभूत अधिकार मानते आए हैं। आदमी के दो समर्थ हाथों को काम देने का अर्थ है, मनुष्य को उसकी मनुष्यता देना और काम करने का अधिकार न देने का या काम के अधिकार से उसे वंचित करने का अर्थ है, मनुष्य को उसकी मनुष्यता से, मनुष्य को हम उसकी इंसानियत से वंचित कर देते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, पशु और आदमी के बीच में फर्क कई बातों के जरिए किया जाता है, उनमें एक प्रमुख बात काम का अधिकार भी है। मनुष्य की काम करने की क्षमता, मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता, मनुष्य की रचनात्मक क्षमता, यही वह शक्ति है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। आदमी का काम ही उसकी पहचान बनाता है। यदि आदमी को हम उसके अधिकार से वंचित करेंगे तो जाहिर है कि हम उसको उसकी मानवीयता से वंचित करेंगे। इस आधार पर भी काम के अधिकार को दुनिया के तमाम मानवतावादी अधिकारी स्वीकारते आ रहे हैं। इसके साथ ही सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने काम के जरिए केवल अपना ही भला नहीं करता, बल्कि अपने समाज का, अपने राष्ट्र का भी निर्माण करता है। इसलिए मनुष्य को उसके इस अधिकार से वंचित करके हम न सिर्फ समाज को वंचित करते हैं, बल्कि राष्ट्र को भी वंचित करते हैं। यह ऐसी बात है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते है। इसी आधार पर सिर्फ हमारे देश में ही नही, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में मनुष्य के काम के अधिकार के बारे में चर्चा होती रही है और इसकी मांग होती रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की जाती है तो उस राज्य में मनुष्य को काम का अधिकार देने की बात आती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस बात को सार्विक तौर पर, यूनिवर्सल तौर पर स्वीकारा गया है, उसी बात पर अमल करने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मानव समाज के लिए बेरोजगारी एक असाध्य रोग का रूप लेती जा रही है। भारत की तरह के विकासशील देशों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के विकसित और संपन्न देशों के लिए भी यह एक बड़ी समस्या है। वे देश भी इस बीमारी से मुक्त नहीं हैं। पूंजीवाद के अध्ययन के आधार पर कार्ल मार्क्स ने दुनिया को बताया था कि जब तक पूंजीवाद रहेगा, बेरोजगारी भी बनी रहेगी क्योंकि पूंजीपतियों के मुनाफे का प्रमुख स्रोत आदमी का श्रम

होता है। इसलिए मैं रेड्डी जी से कहूंगी कि वे जिन नेक इरादों की चर्चा कर रहे थे, पूंजीपतियों से वसूलने की बात कर रहे थे, हमारे पूंजीपति उन पर कितना अमल कर सकते हैं, यह तो 55 वर्षों का इतिहास ही बता सकता है। मैं पूंजीपतियों की बात कर रही थी। कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों के बारे में कहा था कि मनुष्य के श्रम की कीमत को हमेशा कम रखने के लिए पूंजीवाद, श्रमिकों के साथ-साथ ही बेरोजगारों की एक लंबी फौज भी तैयार करता है। पूंजीवाद का विगत 2 वर्षों का इतिहास मार्क्स के इस विश्लेषण को शत-प्रतिशत सही साबित करता है। मैं समझती हूं कि हमारे मंत्री जी भी इस बात की ताईद करेंगे जो मार्क्स ने कही थी। आज दुनिया के तमाम आर्थिक विश्लेषक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं वरना कोई वजह नहीं है कि दुनिया के सबसे अधिक धनी और समृद्ध देश अपने को बेरोजगारी की समस्या से मुक्त न कर पाएं। रूस ने समाजवाद के समय में यह करके दिखाया था। रूस की समाजवादी व्यवस्था भले ही टिक न पाई हो, उसके अलग कारण रहे हैं, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहती लेकिन समूची पूंजीवादी दुनिया के सामने सोवियत संघ ही ऐसा देश था, जिसने एक चुनौती पेश की थी और उसी चुनौती के कारण तमाम पूंजीवादी राज्यों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास करना पड़ा। दुनिया के कई पूंजीवादी देशों को सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए अपने नागरिकों को या तो रोजगार का अधिकार देना पड़ा या उनके लिए रोजगार भत्ते की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन सोवियत संघ में समाजवाद के पतन के बाद अब लगभग 13 वर्ष का समय बीत चुका है। इसी बीच दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। आज की दुनिया को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है और एक ध्रुवीय विश्व' को वैश्वीकरण के रूप में चित्रित किया जा रहा है। आज दुनिया एक विश्व ग्राम के रूप में चित्रित की जा रही है। वैश्वीकरण के इस नए युग मे मनुष्य के बुनियादी अधिकार के रूप में काम के अधिकार की क्या स्थिति है, इस पर हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो फौरन हमारे सामने मानव विकास रिपोर्टों के इस दौर के बारे में कही गई खास-खास बातों की तस्वीर उभरकर सामने आ जाती है। वैश्वीकरण के इस समूचे दौर में आर्थिक विकास, मानव विकास रिपोर्ट, जो 1996 की आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है - मैं रेड्डी जी से कहूंगी कि अगर आप इस विश्व परिदृश्य को भूलकर काम के अधिकार की चर्चा करेंगे, इस बात पर विश्वास करेंगे कि अगर हमारे थोड़े-से पूंजीपति सुधर जाएं, हमारी सरकार थोड़ी-सी सुधर जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1996 की मानव विकास रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह विकास जोबलैस विकास है, रूटलेस विकास है, रूथलेस विकास है, वर्थलैस विकास है। यह पूंजीवादी विकास का यह खास दौर है जिसमें उत्पादन के साथ रोजगार के संबंधों को एकदम विछिन्न कर दिया गया है। उत्पादन में वृद्धि होती है लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं होती। यह इस वैश्वीकरण के दौर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए आज जब हम इस सदन में काम के अधिकार के विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो विचार का परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से बदला हुआ है। एक बिल्कुल नए परस्पेक्टिव में, बिल्कुल नये विश्व परिप्रेक्ष्य में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह वह परिप्रेक्ष्य है जिस पर सारी दुनिया कें आर्थिक उदारवाद के दौर का दौरा जारी है। कहा जा रहा है कि इस उदारतावाद के कारण दुनिया के पैमाने पर पूंजी, वाणिज्य और सूचनाओं का जो अबाध प्रवाह शुरू हुआ है, वह समूची मानवता के लिए कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना करेगा। इस वैश्वीकरण को मानवता की एक अनिवार्य नियति के रूप मे भी हमारे सामने पेश किया जा रहा है। इसके प्रवक्ताओ में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो विश्व अर्थव्यवस्था की अब तक की सारी बीमारियों की रामबाण औषधि के रूप में वैश्वीकरण को पेश कर रहे हैं। एक ओर जिस दौर को जोबलैस, रूटलैस, वर्दलैस, वर्सलैस कहा

जा रहा है वही दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों का एक तबका जो खास तौर पर आई.एम.एफ., वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू.टी.ओ. और वर्ल्ड इकोनामी फोरम के जरिए काम कर रहा है, वह इसी वैश्वीकरण मे हर बीमारी का इलाज ढूंढ़ता है। यही वह तबका है जो हमारे देश के वित्त मंत्रालय पर भी कब्जा जमाए हुए है। मंत्री जी, सुन लीजिए, हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी इन संस्थाओं में आते-जाते रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही मैंने देखा कि हमारे वित्त सचिव भी शायद इसी तरह के एक मंच से जुड़ गए हैं। लेकिन क्या इस बात में रत्ती भर की सच्चाई है कि वैश्वीरकरण की इस प्रक्रिया से दुनिया के गरीबों को, विकास से वंचित लोगों को थोड़ा सा भी लाभ हुआ है? आज की विश्व अर्थव्यवस्था की वास्तविकता यह है कि लगभग सैंतीस हजार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी दो लाख इकाइयों के चलते देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाए हुए है। यह ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जो विश्व पूंजीवाद की ऑपरेटिव यूनिट्स हैं, जो संचालक शक्तियां हैं, यही आज की पूंजी और तकनीक के धारक-वाहक हैं और नई साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रमुख हथियार हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आई.एम.एफ., विश्व बैंक आदि की बहुतराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की पूरी बिरादरी इन्हीं कंपनियों के कामों को सुगम बनाने में लगी है। उपसभाध्यक्ष जी, जी - 7, ट्रायलेटरल कमीशन और वर्ल्ड इकानोमिक फोरम की तरह के मंच इनकी गतिविधियों को सुरक्षा प्रदान करने का ही काम कर रहे हैं। इन्हें नये सिरे से चंगा किया जा रहा है, आप देखेंगे कि इनके जरिए नाटो जैसे संगठन को इनके हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से संगठित किया जा रहा है। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि वैश्वीकरण की आज जो गुहार मचाई जा रही है वह बहुतराष्ट्रीय निगमों और साम्राज्यवाद के प्रभुत्व की एक मुहीम के अलावा और कुछ नहीं है। इस वैश्वीकरण की कोख में विकासशील देशों के लिए कितने बड़े-बड़े संकट पल रहे हैं इसे हमने चंद वर्ष पहले ही इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड की तरह के एशियाई बाघों की लुढ़कती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा था। आज सच्चाई यह है कि विश्व बाजार मे जितनी पूंजी घूम रही है उसकी पांच प्रतिशत पूंजी भी उत्पादनशील कामों में नहीं लगी हुई है। 95 फीसदी से ज्यादा पूंजी सट्टेबाजी में लगी हुई है। आवारा पूंजी के नाम पर पूंजी की एक नई पहचान बनी है जो किसी भी देश की अर्थनीति को मिनटों में अस्त-व्यस्त कर सकती है। वैश्वीकरण के ऐसे दौर में रोजगार की कोई संभावना होगी, इसकी हम आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते।

सस्ते श्रम की तलाश में भटकती, भागती इस पूंजी ने विकसित औद्योगिक देशों के मजदूरों पर भी भयंकर संकट पैदा कर दिया है। आज इसके खिलाफ सारी दुनिया में जबर्दस्त आंदोलन खड़े हो रहे हैं। सिएटल से लेकर जेनेवा तक, उसके बाद दोहा तक विश्व बैंक की जहां भी बैठकें होती हैं, हम विकासशील देशों को, दुनिया के शोषित पीड़ित लोगों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, डब्ल्यूटीओ ने जब अपनी मंत्रिस्तरीय बैठक दोहा में शुरु की तो इसके पीछे कारण यही था कि वहां एक तानाशाही निज़ाम है और शायद इसलिए वहां कोई प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन उनके इन तमाम इरादों को ठुकराकर वहां बड़े बड़े प्रदर्शन हुए अर्थात उपसभाध्यक्ष जी मैं कहना चाहती हूं कि आज स्थिति यह है कि डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसी संस्थाएं आज इस बात की तलाश कर रही हैं कि उनकी बैठकें ऐसी जगहों पर हों जहां जनतांत्रिक व्यवस्था न हो, जहां जम्हूरियत न हो। इसीलिए, उपाध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहूंगी कि आज अगर हम काम के अधिकार की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : समाप्त करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : बस खत्म कर रही हूं।

पानी के अधिकार की बात करते हैं, आवास के अधिकार की बात करते हैं तो आज की विश्व परिस्थिति में इन तमाम अधिकारों को हमें विश्व परिप्रेक्ष्य में ही समझना होगा और हमारी अर्थव्यवस्था जब विश्व पूंजीवाद से जुड़ी हुई है, जिस वैश्वीकरण की चर्चा हम कर रहे हैं तो काम के अधिकार की जो बात है, आवास के अधिकार की जो बात है, वह भी वैश्वीकरण के संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए वैश्वीकरण के संघर्ष के साथ हम खुद को जोड़कर ही काम के अधिकार को हासिल कर सकते हैं और अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिलते मंत्री जी, अधिकार छीनने पड़ते हैं। बंगला में कहा जाता है :

"अधिकार केरे नीते होए। "

तो जब हमारे देश की शोषित पीड़ित जनता अपने अधिकारों के लिए जागेगी और आपकी गद्दी तक पूरी विश्व व्यवस्था में पहुंचेगी तभी इन अधिकारों की प्रासंगिकता होगी और ये अधिकार तभी हासिल होंगे। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करती हूं सुब्बारामी रेड्डी जी का कि एक बार फिर एक ज्वलंत समस्या को वे हमारे सामने लेकर आए। धन्यवाद।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव श्री सुब्बारामी रेड्डी ने प्रस्तुत किया है उसमें मैंने अपना संशोधन दिया है। मैंने अपने संशोधन में इस बात का उल्लेख किया है कि राइट टु शेल्टर को हमारे कांस्टीटयूशन के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाए। उपसभाध्यक्ष जी, राइट टु शेल्टर की बात लगभग हम अनेकों प्रदेशों में करते आ रहे हैं और उसका हल अभी हम नहीं निकाल पाए हैं। इस बात को हम देखें कि हर व्यक्ति को आश्रय का पूरा अधिकार होना चाहिए। देश में आजादी के 55 वर्ष जब हमारे बीते, औद्योगीकरण की जो हमारे देश मे अबाध गति से वृद्धि हुई, देश में औद्योगीकरण शुरू हुआ, हम इस बात को कुछ अंशों तक लागू कर सकते हैं कि जहां उद्योगीकरण है, बहुत बड़े घराने अपने उद्योगों को लगाएं - एक एक उद्योगपति के द्वारा, एक एक औद्योगिक घराने में न मालूम कितने उद्योग धंधे होंगे - उनके उद्योगों में काम करने वाले लोगों की संख्या 50-60 हजार या एक लाख के आस पास होगी, कांस्टीटयूशन में इस बात का हमें अधिकार रहे कि उस उद्योगपति को जितने उसके काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके लिए जब तक वह मकान बनाने की बात नहीं कहे तब तक उसे उद्योग लगाने की अनुमति न मिले। इससे कुछ अंशों तक इस समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन इसे अगर हम हर उद्योग में चाहे वह पब्लिक सेक्टर के हों, चाहे प्रायवेट सेक्टर के हों, बहुत ही कड़ाई के साथ लागू करें तो उसका असर यह होगा कि कई करोड़ लोगों को - आज जो 3 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए मकानों की आवश्यकता है तो मैं सोचता हूं कि देश में आज जो उद्योग धंधे चल रहे हैं- इससे काफी बड़ी तादाद में उनको आवास मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक संकल्प के साथ आना होगा। इस संशोधन के माध्यम से हम अवश्य इस बात को कहते हैं कि इसे करना चाहिए। इसका जहां जहां प्रयोग हुआ है कि उद्योगपतियों,की जो आय है, जो आमदनी है जो इन्कम होती है उस इन्कम में से उनके लिए लाजिमी है कि इतने मकान आप अपने श्रमिकों के लिए बनाएंगे।

उससे एक बहुत बड़ी तादाद में, एक छत के नीचे रहने की जो कल्पना एक श्रमिक की रहती है, क्योंकि वह गंदी बस्तियों में रहता है, अगर गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को यह सुविधा मिल जाए तो यह आवास का मामला सुलझ सकता है। इसके दो फायदे होंगे एक तो गंदी बस्तियां नहीं बसेंगी और दूसरा, उद्योगपति पर यह पाबंदी होगी कि उसे उद्योग चलाने का तभी अधिकार मिलेगा जब वह इन शर्तों को पूरा करेगा। मैंने कहा कि चाहे वह सरकारी उपक्रम के अंतर्गत हो, चाहे वह निजी उद्योगों के अंतर्गत हो, जहां-जहां पर भी रोज़गार के अवसर हो सकते हैं, वहां पर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका रोज़गार का भी अधिकार है। आप इस देश के किसी भी जिले में चले जाइये, वहां के रोज़गार दफ्तर में, नाम तो है रोज़गार दफ्तर, लेकिन वहां बेरोज़गार लोगों की सूची लाखों की तादाद में मिलेगी। भिलाई स्टील प्लांट में जो रोजगार कार्यालय है, उसमें मैंने इस बात को देखा है कि अभी पौने दो लाख आदमी रोज़गार के लिए न मालूम कितनी बार अपने कॉर्ड का नवीनीकरण कराते हैं, लेकिन नौकरियां बहुत कम लोगों को मिलती हैं। अब या तो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर नौकरी मिले या भिलाई के आस-पास लगने वाले जो उद्योग-धंधे हैं उनमें नौकरी मिले। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत उसको रोजगार पाने का अधिकार हो। उस अधिकार के अंतर्गत माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैंने संशोधन पेश किए हैं, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वॉटर, मैंने कहा कि ये मूलभूत अधिकारों में शामिल करने चाहिए। आप गांधी विचारधारा से भली-भांति परिचित हैं। गांधी जी ने ग्राम स्वराज योजना की बात कही थी। गांधी जी ने उस बात को कहा था कि अगर हमने अपने गांवों को सर्व सम्पन्न बनाना है तो उस गांव के अंदर ही सब सुविधाएं उपलब्ध हों। क्योंकि गांव से शहर पलायन करने की जो समस्या है और आज जो बेरोजगारी, मकानों की समस्या, काम की समस्या, पीने के पानी की समस्या, जो शिक्षा की समस्या है उसके एक निदान के रूप में गांधीवादी विचारधारा को लेकर अगर हमने काम करना शुरू किया और जो समाजवादी समाज की रचना का एक अंग है, उस गांव को हम इस प्रकार संपन्न बनाएं कि गांधी जी की जो कल्पना थी कि एक गांव होगा, उस गांव में रहने वाले चाहे दो हजार आदमी हों, दो हजार आदमी उस गांव के लिए अपनी-अपनी जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, चाहे उन्हें अनाज की आवश्यकता हो, कपड़े की आवश्यकता हो, तेल की आवश्यकता हो चाहे शक्कर की आवश्यकता हो, गुड़ की आवश्यकता हो, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वह गांव अपने गांव में ही कर लेते हैं तो अच्छी बात है। उससे अगर बच जाए तो वह अपने पड़ोस के गांव में, जहां उसका उत्पादन कम हो वहां भेज सकते हैं। इस ग्राम स्वराज योजना का अर्थ यही था कि गांव से शहर की ओर लोग पलायन न करें। आज सारी समस्या की जड़ यही है कि गांव में आज हमारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आपको याद होगा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में था गांधी ग्राम योजना की हमने शुरुआत की। करीब 902 विकास खंडों में गांधी ग्राम योजना खादी कमीशन ने करीब एक हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। बदकिस्मती से मैं बहुत दिन तक नहीं रह पाया, लेकिन उस गांधी ग्राम योजना के अंतर्गत उस 902 विकास खंडों में लोगों को लगने लगा था कि सचमुच में जिस बात को गांधी जी ने कहा था, उस बात को हम कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या-क्या निकला सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं हों, पीने के पानी की सुविधा वहां हो, रहने की सुविधा वहां हो, उसके साथ-साथ खेती और किसानी के लिए जिस आदमी को गांव का जोगराफिया नहीं मालूम कि खेती कैसी होती है, यह शहर के लोगों को शायद नहीं मालूम, तो कहने का मेरा आशय था कि उसके माध्यम से धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के 902 विकास खंडों के बाद

जो शेष विकास खंड बच गए थे, उनकी इतनी मांग आनी शुरू हुई कि लोगों को लगने लगा कि एक ऐसी योजना जिसका नाम बाद में, कालांतर में उसका नाम मालूम नहीं क्या बदला, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उस योजना की शुरुआत में जो खादी कमीशन ने धनराशि दी थी उन गांवों में संपन्नता आई।

गांवों में लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम को शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना है, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम यथार्थ के धरातल पर देखें तो गांवों के अंदर आज स्कूल्स की क्या दशा है? गांवों में अगर प्राइमरी स्कूल है तो उस की छत नहीं होगी, अगर प्राइमरी स्कूल है तो बैठने की जगह नहीं होगी। मिडिल स्कूल की भी वही हालत है, हाईस्कूल की भी वही हालत है। इसलिए मैंने कहा कि इसे हमारे संविधान में शामिल किया जाय और मेरी अपनी राय है कि इस प्रकार की योजना को हमे क्रियान्वित करके तो देखें। महोदय, हम ग्राम स्वराज की योजना का समर्थन करते हैं, और बात बहुत होती है, लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमारी सरकारों की मंशा कितनी रहती है? प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, 20 लाख लोगों को मकान की व्यवस्था करेंगे, लेकिन मकान कहां से बनेंगे? हम प्रधान मंत्री या मंत्री महोदय से पूछना चाहेंगे कि जहां 3 करोड़ की आवश्यकता हो तो क्या वहां 30 लाख पर्याप्त हैं? महोदय, हम घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन घोषणाओं पर अमल करना बहुत कठिन काम है क्योंकि हम व्यावहारिक कार्य से अलग रास्ते पर जा रहे हैं। उपसभाध्यक्ष जी, आप पीने के पानी का मामला देखिए। आज गांवों के अंदर तालाबों की क्या हालत है? गांव का पीने का पानी अगर कोई शहर का आदमी जाकर देखे तो वह उसे पी नहीं सकता। इस तरह आज पीने के पानी की समस्या का भी समाधान हो नहीं पा रहा है। वहां पानी का स्तर 300 फुट, 400 फुट और कहीं-कहीं तो 500 फुट नीचे तक चला गया है। क्या हम ने उस स्थिति का विचार किया है? क्या उस को रिचार्ज करने की दिशा में कोई कार्यवाही की है? महोदय, ऐसी योजनाएं, कार्य-योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन हम ने कर के देखा है कि कैसे पानी रिचार्ज हो सकता है, किस प्रकार इन योजनाओं को कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं। इसलिए पीने के पानी का मामला भी हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। यही इस समस्या का हल हो सकता है। हम गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या का समाधान कैसे करें, गांव में अगर पानी का जलस्तर 200, 300 फुट नीचाई पर चला जाएगा तो उस के लिए देखना होगा कि उस में पानी का स्तर कितना है और हमारे जियोलॉजिस्ट्स को भी प्रॉपर्ली देखना होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ने शिक्षा के संबंध में कहा। मैं इस बात को मानता हूं कि 1947 में जब देश को आजादी मिली तो दुनिया के देश कहते थे कि हिंदुस्तान ने आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तुलना में हिंदुस्तान बहुत पीछे रह जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान के लोग न पढ़े-लिखे हैं, न उन को तकनीकी ज्ञान है और न उन को वैज्ञानिक ज्ञान की कभी अनुभूति हुई है। लेकिन आज दुनिया के सारे विकसित राष्ट्र इस बात को सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और कहते हैं कि जो हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था और जिसे अंग्रेजों ने बहुत बुरी हालत में छोड़ा था आज शिक्षा और विशेष रूप से तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान के लोगों ने दुनिया में कमाल कर दिखाया है। आज दुनिया के लोगों को लगने लगा है कि अब हिंदुस्तान जाहिल लोगों का देश नहीं है, हिंदुस्तान पढ़े-लिखे लोगों का देश है । आखिर यह सब कैसे हुआ? उपसभाध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू

ने कहा था कि जब तक हम लोगो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज हम स्कूलों मे देखते है कि प्रायमरी शिक्षा के समय से ही बच्चों को विज्ञान की शिक्षा की शुरूआत कर दी जाती है। जब तक हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा तब तक दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तुलना मे हम कहीं खड़े होने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज अमेरिका और इंग्लेंड में स्थिति यह है कि अगर हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, हिंदुस्तान के तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग वापिस आ जाएं तो उन का सारे का सारा काम ठप्प हो सकता है। आज से बीस साल पहले मैं ईरान गया था। उस समय जो ईरान की हालत थी, बहुत से इंजीनियर हिन्दुस्तान के वहां मुझे देखने को मिले और वह इस बात को कहते थे कि अगर हम ईरान से चले जाएं तो ईरान का सारा विकास कार्य ठप्प हो सकता है। हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। आज हिन्दुस्तान की आबादी सौ करोड़ हो गई है, इसलिए उसके अनुसार हमें अपनी व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। हमें इस बात को देखना होगा कि जब हमने आज दुनिया में नाम कमाया है तो हमारी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। शिक्षा के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर आपके टूटे फूटे स्कूल हों, खपरैल भी न हों, बच्चों के लिए सुविधाएं भी न हों तो इस तरह के वातावरण में जो पढ़ने वाला छात्र है उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। वातावरण का अपना असर पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि अगर हमने इसको मूलभूत अधिकारों में शामिल कर लिया तो निश्चित रूप से उसे ऐसा लगेगा कि हमें यह मूलाधिकार अपने संविधान के अंतर्गत मिला है और इस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत हमें काम करना है और उसे करने के लिए वह पूरी तरह से प्रयत्नशील होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक काम का सवाल है, मैंने एक ही बात का उल्लेख किया। मैंने कहा कि इस देश मे ग्राम को आप संपन्न बना दीजिए, ग्राम स्वराज की योजना को पूर्ण रूप से लागू कर दीजिए। गांधी जी की योजना के अंतर्गत चलेंगे तो देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसे लागू करने में बहुत अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और अगर आवश्यकता होगी तो उसे संपन्न बनाने की आवश्यकता होगी और उस संपन्नता को सही ढंग से देखने की आवश्यकता होगी। आदर्श ग्राम की योजना लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी सारी कठिनाइयां लोगों के गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने से शुरू होती हैं। आप इस बात को तो जानते ही हैं कि गांव से शहर में आने वाले को कहां रोजगार मिलता है? वह या तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के मकान बनाने का काम करता है या बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग बनाने का काम करता है। वह रहता कहां है? जिस प्रकार का वह जीवन जीता है, उस प्रकार के जीवन में अन्य लोग नहीं रह सकते। इसके लिए आवश्यक यह है कि गांवो से लोगों का पलायन रोका जाए तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। शासन के पास धन की कमी नहीं है, मगर सोच की कमी है, विचारों की कमी है। गांधी जी के विचारों को इस देश में ही नहीं दुनिया में माना जाता है। दुनिया के इतिहास में इस बात को कहते हैं कि गांधी के बिना इस दुनिया का इतिहास अधूरा रह जाएगा। गांधी जी के जितने प्रयोग थे वह इस हिन्दुस्तान को बनाने के लिए थे, इस हिन्दुस्तान को संपन्न बनाने के लिए थे, इस हिन्दुस्तान से गरीबी मिटाने के लिए थे । इन सारी बातों को हम सोचें और इसे संविधान में शामिल कर मूलाधिकारों में रखें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप तो इस बात से परिचित हैं, आपने सेवाग्राम देखा है, आपने वर्धा देखा है, आपने जहां जहां ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं उन स्थानों को देखा है। इन स्थानों पर लोगों को स्वर्ग की स्थिति नजर आई, संपन्नता की स्थिति नजर आई। मेरा अपना यह मानना है कि सरकारी योजनाएं तो अपनी मंद गति से चलती रहेंगी, भाई शरद यादव जी अपने विचारों में मग्न रहेंगे और बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगो को रोजगार नहीं दे पाएंगे, चाहे वह एक करोड़ के रोजगार की बात करें, वह भी समाजवादी समाज रचना के एक अंग हैं, मैं इनकी बातों को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन सिर को खाली खुजलाने से काम नहीं होगा। तो आइए, यह आपके सामने जो वक्त है, इस वक्त के अनुसार काम करना शुरू कर दें तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन, जो मैंने प्रस्तुत किया है, उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री रेड्डी साहब के रेजोल्यूशन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन्होंने तीन अधिकार देने की बात कही है। इस देश की त्रासदी यही रही है कि यहां शुरू से केवल अधिकारों की ही बात होती रही है। मेरी बहन, सरला माहेश्वरी तो यहां तक कह गई कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये अधिकार किससे छीनने वाली हैं? अधिकार देगा कौन? पहले अधिकार देने की सामर्थ्य तो होनी चाहिए। मैंने तो एक बात सीखी थी कि अधिकार कहीं वैक्युम में पैदा नहीं हो सकते। किसी किए गए कर्त्तव्य के पूरा होने पर ही किसी अधिकार का जन्म संभव है। कर्त्तव्य अगर पूरा नहीं है और केवल अधिकार है तो यह अधिकार अंधेरे में परिणत होगा। हमने अधिकार ही अधिकार की बात करी, 25 साल बाद हमें यह अहसास हुआ कि कर्त्तव्यों की भी बात होनी चाहिए और तब 51(ए) धारा जोड़ी गई, शुरू में यह नहीं जोड़ी गई थी। हमारे संविधान में कर्त्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था, मौलिक अधिकारों की बात हुई थी, मौलिक कर्त्तव्यों की बात हुई ही नहीं, बाद में पता चला कि बिना कर्त्तव्य के अधिकार संभव नहीं हो सकते, लिहाजा कर्त्तव्यों की बात चली। अब कर्त्तव्यों के सामने जब हम आते हैं तो देखते हैं कि हमें एक हजार साल की गुलामी में जो मिला, वह यह मिला कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए। मानसिक रूप से गुलाम किसको कहते हैं? मानसिक रूप से गुलाम उसको कहते हैं जिसको अपने कर्त्तव्य को करने के लिए किसी बाह्य फोर्स की जरूरत हो। अगर गुलाम की कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि एक नाव में पतवार चलाने वाले लगे हैं और पीछे कोई कोड़ा लेकर खड़ा है। जब तक कोड़ा होगा, पतवार चलेगा, जब कोड़ा हटेगा तो पतवार बंद हो जाएगा। आज वही पद्धति है, चाहे कोड़ा किसी भी रूप में हो। अगर कोड़े के रूप में एक सिपाही खड़ा है तो लाल बत्ती पर सब रुकेंगे अन्यथा लाल बत्ती पार कर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर अपने सम्पूर्ण कौशल, सम्पूर्ण सामर्थ्य से काम करे, सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है। गरीबी की बात आती है। गरीबी का संबंध पैसे से बिल्कुल नहीं है, गरीबी का संबंध पुरुषार्थ से है। अगर व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कौशल और सम्पूर्ण सामर्थ्य से अपने कर्त्तव्य का, वह जहां भी है, वहां उसका सम्पादन करेगा तो वह सम्पन्न बनेगा, वह प्रतिभाशाली बनेगा, वह मां का ऐसा सपूत बनेगा जिस पर मां गर्व कर सकेगी।

सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की है दिशाविहीनता। मैं सैंकड़ों हजारों बच्चों में जाता रहा हूं, अपने कार्यकाल के दौरान भी मैं इंस्टिट्यूशन्स में जाता था और पूछता था कि बेटे क्या कर रहे हो? सर, बी.ए. कर रहे हैं। फिर क्या करोगे? फिर एम.ए. करेंगे। फिर क्या करोगे?

साहब, फिर देखेंगे। यही, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। फिर क्या करोगे? देखेंगे। यानी दिशाविहीनता इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। किसी को पता ही नहीं है कि वह कहां जा रहा है, चला जा रहा है बस। मुझे तो बार-बार उस यात्री के बारे में ध्यान आता है जो मेरे साथ ट्रेन में जा रहा था, मैं पूछ बैठा कि कहां जा रहे हैं तो बोले कि अभी तय नहीं किया। लोग उसको बेवकूफ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं कि तय नहीं किया, गाड़ी में बैठ गए। अरे उसने तो छोटी सी यात्रा में तय नहीं किया कि कहां जाना है और हमने उसको मूर्ख कहने में गुरेज़ नहीं किया, लेकिन वह जीवन यात्रा, जो हमने शुरू कर रखी है क्या हमें मालूम है कि कहां जाना है?

ऐम्प्लायमेंट की बात करें, तो आज लाखों घर हैं जहां पर डोमेस्टिक हेल्प चाहिए। नौकर नहीं मिल रहे। एक स्टैनोग्राफर अच्छा मैं चाह रहा हूं, चार साल से मैं सांसद हूं, एक अच्छा स्टैनोग्राफर मुझे नहीं मिला। कमी कहां है? मैं ऐम्प्लायमेंट देने के लिए तत्पर हूं, मुझे स्टैनोग्राफर नहीं मिलता। मिलेगे क्यो? कैसे मिलेगा? क्योंकि कोई योग्य नहीं बन पाता। जिस काम को करना है, उसके लिए कोई योग्यता हासिल नहीं करता। सबसे बड़ी कमी इसी बात की है कि *कहीं भी योग्यता हासिल करने की होड़ नहीं लगी है। आज केवल सिफारिश हासिल करने* की होड़ लगती है। हमने बचपन में सुना था कि - पहले योग्य बनो, फिर कामना करो। आज यह कहा जाता है कि - कामना करो, चाहे आप उसके योग्य हो या नहीं। यह बात सबको बड़ी अच्छी लगती है कि उनको अधिकार दिला दिया जाए। वे योग्यता के बारे में सोचते ही नहीं हैं। कहां से उनको अधिकार मिलेगा? जो अधिकार मिले हुए हैं, क्या हम इंसान की हैसियत से उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं? प्रकृति द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। प्रकृति ने हमको अपना विकास करने का अधिकार दिया है। समस्त विश्व में किसी और जीव को विकास करने का अधिकार नहीं है। बीज में जितना निहित है, उतना विकास करके वह ह्रास को प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम कमजोर हैं, तो भी ताकतवर बन सकते हैं - शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कलात्मक रूप से। समस्त क्षेत्रों में हम अपना विकास स्वयं करने के अधिकारी बनाए गए हैं। हमको अधिकार मिला है कि हम अपनी रुचि के हिसाब से जो भी करना चाहें, उसे चुनें। लेकिन हम उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं करते हैं।

महोदय, आज सबसे बड़ी त्रासदी पापुलेशन की है। उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। शैल्टर कहां से मिलेगा? हमारे सभी साधन सीमित हैं। हम उन सीमाओं को पार कर चुके हैं। अब किसी भी शासन में सामर्थ्य नहीं है कि वह सबको इम्प्लॉयमेंट दे सके, किसी भी शासन में सामर्थ्य नहीं है कि वह सबको छत दे सके। किसी में सामर्थ्य नहीं है यह सब देने की। और फिर जिस प्रकार का शासन पिछले 50 सालों में चला है, जिस प्रकार हमारा नैतिक ह्रास हुआ है, यह उसी का नतीजा है। अगर किसी अच्छे कार्य के लिए पैसा आवंटित होता भी है तो वह वहां तक पहुंच नहीं पाता। बुजुर्गों के वैलफेयर के लिए हमने पेंशन दे रखी है। कितने ही 40-45 वर्षीय लोग वृद्धावस्था पेंशन के प्रात्र बने हुए हैं, थोड़ा सा उनको दे देते हैं, बाकी अपने पास रख लेते हैं। किसी भी स्कीम का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि चारों तरफ बहुत करप्शन हो गया है।

महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आपको सुदृढ़ बनाएं। हर व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, पुरुषार्थी बने और ईमानदारी से कार्य करने के लिए तत्पर हो। तब समाज का कुछ भला हो सकता है। अन्यथा केवल अधिकार देने से कुछ नहीं होने वाला है। अधिकार इतने ज्यादा हैं लेकिन क्या वे सबके लिए उपलब्ध हैं? अगर वे सबको उपलब्ध होते तो

सैकड़ो-हजारों रिटें हाई-कोर्ट मे क्यों लगतीं? चोरी जुर्म है, केवल इस बात को कह देने से चोरी समाप्त नहीं हो जाएगी। आपने कह दिया कि यह आपका मौलिक अधिकार है, इससे वह अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हो जाएगा। यह सब भुलावा देनी वाली और जनता को धोखा देने वाली बातें हैं। हम जितनी जल्दी ये बातें बंद करें, जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा।

महोदय, मैं सरला जी की इस बात से इत्तफाक करता हू कि वैश्वीकरण बहुत खतरनाक चीज है। वैश्वीकरण के नाम पर समूचे विश्व का एक प्रकार से इकनॉमिक टेक-ओवर हो रहा है और हमें इसे resist करना पड़ेगा। यह वह भूमि है जहां हजारों साल पहले कंपलीट सोसायटी थी। मैटीरियल जगत मे जितना प्रयास करना चाहिए, उतना प्रयास मैटीरियल जगत में होता था, आध्यात्मिक जगत में जितना प्रयास करना चाहिए, उतना प्रयास आध्यात्मिक जगत में होता था। उस समय हमारा समाज कला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में इतना विकसित था कि इन विधाओं में हमने बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे। अब तो हम कंज्यूमरिस्ट सोसायटी में पहुंच गए हैं और हम समझते हैं कि हमारा कल्याण उसी में है। हम किस प्रकार की प्रगति में लगे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। पाषाण युग का मानव खोह से निकलने में भय खाता था। आज 21वीं सदी में वही मानव सूर्यास्त के बाद शिकागो या न्यूयार्क की सड़कों पर निकलने मे भयभीत है तो क्या यह प्रगति का सूचक है? पाषाण युग में मानव पुत्र बाड़े में पाले जाते थे। आज इस युग मे मानव पुत्र अगर कम्यून में पाले जाएं, चाहे इललिजिटिमेट बहुत पैदा हो रहे हैं, इसलिए कम्यून में रखे जाते हैं। चाहे किसी स्टेट पौलिसी के तहत कम्यून मे रखे जाएं। तो क्या यह प्रगति का सूचक है? मान्यवर, जिसको बहुत प्रगतिशील देश कहा जाता है वहां पर मैं देखकर आया हूं कि वृद्धजनों को उनके बच्चे ओल्ड एज हाऊस में छोड़ जाते हैं कि आप यहां पर रहिए। वहां बहुत ही अच्छा है तथा वहां तो नल खोलकर जूस आता है। जब यह वृद्धजन अपने पोते और पोतियों से बात करने के लिए तड़फते हैं तो वह अपने ओल्ड एज हाऊस के डायरेक्टर से कहते हैं कि मेरा 12 वर्ष का पोता है मैं उससे बात करना चाहता हूं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है। वहां हाऊस में उनके पास हर एज ग्रुप के बच्चों की लिस्ट रहती है और उसे देखकर वह टेलीफोन करते हैं किसी बच्चे को कि तुम खाली हो? वह बच्चा बोलता है कि हां, मैं खाली हूं। तो इस प्रकार 8 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से बच्चों को किराए पर लिया जाता है। जब बच्चा आता है तो कहा जाता है कि तुम रुम नं0 12 में चले जाओ। तो वह बच्चा उस कमरे में ग्रांडपा-ग्रांडपा कहता हुआ घुसता है और वह उससे ग्रांड चाइल्ड करके बातें करते हैं। जब टाइम पूरा हो जाता है तो बच्चा कहता है कि ओ0के0 ग्रांडपा, Now my time is up, I would like to go. तो ग्रांड फादर 8 डॉलर निकालकर उसको देता है और इस तरह से वह अपनी उस प्यास को बुझाता है जो अपने पोते से बात करने की प्यास होती है। क्या यह प्रगति है? क्या हम उस प्रगति की ओर जा रहे हैं? हमको बहुत मौलिक रूप से सोचना पडेगा कि हम जा कहां रहे हैं। बेसिटोनियन, एथिनियंस, ग्रीक्स, रोमन यह सभ्यताएं प्रगति करते-करते लुप्त कैसे हो गई। प्रगति तो कर रहे हैं फिर लुप्त कैसे हो गई। हम किधर जा रहे है। अधिकारों की बाते हम करें। मान्यवर, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यो को पूरा करता है मैंने उसको कभी अपने अधिकारों के बारे मे चिंता करना तो दूर कभी उसको अधिकारों से हीन पाया ही नहीं है। अधिकार तो स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। कर्तव्य करो तो तुम्हारे पास अधिकार किस तरह आते हैं। हमको यह पाठ पढ़ाना होगा हमें इस देश को कहा ले जाना है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निरर्थक संकल्प है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सभा के अंदर डा. सुब्बारामी साहब ने जो संकल्प उपस्थित किया है यह आज के समय की आवश्यकता है। यह एक ऐसा संकल्प है मानव जाति के लिए, मानव के लिए जो बहुत ही आवश्यक है और इसको पूरे सदन को आम सहमति से पारित करना चाहिए। आजादी के 50 साल बाद भी हमारी स्थिति यह है कि इस देश के लोगों को हम रोटी-कपड़ा और मकान भी उपलब्ध नही करा पाए हैं। इसलिए संकल्प के माध्यम से सरकार को कानून बनाना चाहिए जिससे जो काम हम 50 साल की आजादी के बाद भी नहीं कर पाए हैं, यह काम पूरा हो। आज स्थिति दिन पर दिन बदतर बनती जा रही है। आज 5 करोड़ लोग जिनको सिर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है। जो खुले आसमान के नीचे सोते हों। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं - वे पढ़े लिखे हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं। हमारे देश की नीतियां, हमारी सरकार की नीतियां आज देश को किधर ले जा रही हैं? जिस तरीके से इस देश की जनसंख्या बढ़ रही है, पापूलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, आवास की समस्या बढ़ रही है, पानी की समस्या बढ़ रही है, खाने के लिए अनाज की समस्या बढ़ रही है, समझ में नहीं आता कि जो मूल अधिकार हैं, जो अधिकार उनको दिये गये हैं, उनका पालन हो सके, उसकी व्यवस्था कैसे हो। आज देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाएं बना रही है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन क्या हैं? यह विकसित देशों के लिए हैं। जिनके पास मकान भी हैं, खाने के लिए अनाज भी है, कपड़ा भी है, उनके लिए हैं। लेकिन हमारे देश की स्थिति दूसरी है। इस देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है। यहां खेती का रोजगार है । जो हमारी औद्योगिक क्रांति हुई , जो उद्योग लगाए गए थे, लघु उद्योग लगाए गये थे, आज वे सारे लघु उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। मशीनीकरण आ गया, मशीन का युग आने से कृषि के अंदर जो श्रमिक काम करते थे, वे बेरोजगार हो गये। अभी यहां सुब्बारामी रेड्डी जी कम्प्यूटर की बात कह रहे थे। कम्प्यूटर के बाद हमारी स्थिति और दयनीय हो जाएगी, लोगों को रोजगार नही मिलेंगे। महोदय, आज आवश्यकता ज्यादा रोजगार पैदा करने की है, रोजगार उपलब्ध कराने की है, और वह कैसे हों, इसके लिए सरकार को विभिन्न बुद्धिजीवी संगठनो से, लेबर संगठनो से, औद्योगिक संगठनो से विचार लेकर एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे इस देश के हर व्यक्ति को खाने के लिए अनाज मिले, रोजगार के साधन मिलें, करने के लिए काम मिले, सर ढकने के लिए मकान मिलें। नहीं तो आज यह स्थिति है कि बरसात के दिनों मे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है और उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं। जो लोग आकाश के नीचे रहते हैं, उन्हें बरसात के दिनों में कई बीमारियां हो जाती हैं और उनके सामने कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो जाते हैं, वे देखने लायक होते हैं। इसलिए सरकार को इस संकल्प को सामने रखकर कानून बनाने चाहिए, विधेयक बनाने चाहिए। आज देश के अंदर कहीं उपद्रव हो रहे हैं, कहीं लोग उग्रवादी बन रहे हैं, कहीं आतंकवादी बन रहे हैं, कहीं एक दूसरे की हत्याएं की जा रही हैं, इसके क्या कारण है? इसका कारण रोजगार न मिलना है। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। महोदय, हमने शिक्षा की व्यवस्था की कि 14 साल तक के बच्चे को हम निशुल्क शिक्षा देंगे। वह हम कर भी रहे हैं लेकिन शिक्षा पाने के बाद वह कहां जाते हैं? स्कूलों और कॉलेजों से निकलने के बाद जब वे रोजगार के लिए आते हैं और जब रोजगार नही मिलते हैं तब कई ऐसे ही रास्तों पर भटक जाते हैं, कई ऐसे ही गलत कामों मे पड़ जाते हैं। उस सबका कारण यही है। आज जिस प्रकार से गुजरात के अंदर जो कुछ हो रहा है - मुझे ज्यादा समस्या इस बात से हो रही है कि यहां जो उग्रवादी और आतंकवादी

लोग हैं, जो संगठनों से जुड़े हुए हैं, वे हर प्रकार का खेल जो गुजरात में हो रहा है, कर रहे हैं। महोदय, इससे गुजरात ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की हालत खराब होने जा रही है। यदि आपने इन लोगों की जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं की तो यही हालत सारे हिन्दुस्तान की हो जाएगी। आज हम दूसरे देशों की बात करते हैं। दूसरे देशो में शिक्षित बेरोजगारों को वजीफा दिया जाता है लेकिन आपके यहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे ऐसे संसार में घूम जाते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें अपने जीविकोपार्जन का कोई साधन दिखाई नहीं देता और तब जाकर वे गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जीवनयापन के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनका अधिकार उसको प्राप्त हो। इस कार्य को करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कोशिश की थी कि रोजगार बढ़ाया जाए, आवास की व्यवस्था की जाए। इंदिरा आवास योजना के नाम से कई आवास योजनाएं बनाई गई जो राजीव गांधी ने चलाई। उससे लोगो को आवास ज्यादा मिले। मंत्री महोदय, यह आपका सौभाग्य है कि तीन-तीन विभागो का भार आपके ऊपर है। वैसे तो आप लेबर मिनिस्टर हैं लेकिन आज आवास का काम भी आप ही देख रहे हैं और यहां हमारी बातों को सुन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको तीन-तीन विभाग मिले हैं और यह अच्छा होगा कि लोगो की समस्याएं सॉल्व हो सकेंगी।

महोदय, मैं आवास की बात कर रहा था। इंदिरा आवास योजना के नाम से हमारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन प्रैक्टिकल में हम जाएं तो उनका दुरुपयोग हो रहा है। मैं गावं से आता हूं और देखता हूं कि इस आवास योजना के नाम पर आजकल किनको फायदा पहुंचाया जा रहा है? पंचायत के जो हेड बने हुए हैं, वे अपने रिश्तेदारों को, अपने नजदीकी लोगों को आवास योजनाओं का फायदा पहुंचा रहे हैं। गरीब आदमी जिसके ऊपर छत नहीं है, उसको आवास नही मिल रहा है और यदि मिलता भी है तो उसमें भी बहुत करप्शन होता है। जितनी आवास की सहायता उनको दी जाती है, उसमे से आधा पैसा उसको मिल पाता है और आधा पैसा दूसरों की जेबों में चला जाता है। इंदिरा आवास योजना का बहुत अच्छा महत्व है। शुरू में इसमें अच्छा काम हुआ था, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत काम किया था। आज हिंदुस्तान के 70 प्रतिशत लोग कृषि का काम करते हैं। इंदिरा गांधी ने जो रोजगार करते थे, उन लोगो को ज़मीनें ऐलॉट की थीं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीने इंदिरा गांधी ने ऐलॉट की थी, उनका कब्ज़ा तो उनको दिला दे। उन बेचारो को उन जमीनो के कब्जे अभी तक नही मिले हैं। महोदय, जब अधिकार की बात आती है तो हमे यह लगता है कि अधिकार तो दे दिया गया लेकिन उनका पालन करने में कठिनाई है और सरकार का सहयोग नहीं है। इसलिए सरकार को सहयोग करना चाहिए।

महोदय, आज औद्योगिक स्थिति का हमे जो धीरे-धीरे लाभ मिलना चाहिए, वह माइनस की ओर जा रहा है। उसका लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। आज उद्योगों के प्रति लोगों की रुचि कम हो रही है क्योंकि मल्टी नेशनल्स आ रहे हैं और उनका मुकाबला करने में हम बहुत पीछे हैं। महोदय, आज जगह-जगह उद्योगों की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। जो उद्योग चल रहे थे, वे धीरे-धीरे बंद होते चले जा रहे हैं। महोदय, रेवाड़ी-दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें आज से साल भर पहले तक 60 परसेंट उद्योग ठीक चल रहे थे लेकिन आज की तारीख में 20 परसेंट उद्योग ही रह गए हैं जो चालू हालत मे हैं और उन उद्योगों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं, शिक्षित बेरोज़गार हो गए हैं। कृषि में काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। आखिर क्या होगा इन बेरोजगारों को? कहां जाएंगे ये

बेरोजगार? सरकार का क्या प्लान है? सरकार की क्या योजना है? सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन योजना का भविष्य देखकर नहीं बनाती है। वर्तमान देखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। सरकार को देश का भविष्य, बेरोज़गारी और जनसंख्या के भविष्य को देखते हुए योजनाएं बनानी चाहिए कि पचास साल के अंदर ये काम करने से पचास सालों तक ये समस्याएं दूर रहेंगी, इन समस्याओं का सामना हम कर सकेंगे। ऐसी योजनाएं सरकार को भविष्य को सामने रखकर बनानी चाहिए। महोदय, जिस भावना से रेड्डी जी का यह संकल्प है, मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के लोगों के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए, इस देश के गरीबों के लिए जो अधिकार की भावना की बात कही गई है, उसको देखते हुए इस संकल्प का सपोर्ट करें। इसी में हम सबका सही कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रति, गरीबों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है, यही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for this opportunity to speak on the Resolution of Dr. Subbarami Reddi, which says, "That this House recommends to the Government that the Right to Shelter, Right to Employment and Right to Work be included in the Constitution as Fundamental Rights. Sir, I would like to point out that these rights have not been conferred on the Indian citizens. Therefore, through this Resolution, we want to make these rights as Fundamental Rights. If these rights had been included as Fundamental Rights, then every citizen would have been entitled to knock the door of the Supreme Court of India or any High Court saying that he is in need of employment or that he is need of shelter. He would have got a remedy by virtue of this. Before saying anything further, I would like to submit that we should have the right to food, clothing and shelter - as it is said in Hindi, *Roti, Kapara aur Makaan*. These things are more important for us than those things which have been mentioned in the Resolution. I would like to submit that the framers of the Constitution were aware that it would be very difficult to provide all such things as Fundamental Rights to the citizens of India. We were having a population of 30 crore at that time. Now, our population is more than 100 crore. Taking into consideration all these facts, the Directive Principles of State Policy have been provided in our Constitution, and article 41 states, "The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want." Sir, this article clearly mentions that the economic capacity of the State has to be taken into consideration. What is the economic condition of the country at present? The economic condition of the country is .not quite good at this moment. That is why these things cannot be provided all at one go. But, at the same time, the

4.00 p.m.

Government has to provide, except unemployment allowance, the old age pension. Funds are being provided for this purpose. In the case of sickness also, the Government is providing funds. I would also like to quote another provision which is in article 42 of the Constitution. It says, "The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief." In the case of poor people, maternity relief is being provided by the Government. There are many other things which are being provided under the Directive Principles of State Policy. The Government is doing a lot of things in this regard. I do not think the Government should be compelled to include all these things as Fundamental Rights. Sir, I can quote here the example of France where if any person has not got job, he is provided some money by the Government. Even a child gets some assistance at the time of his education. As far as parents in France are concerned, if they have more number of children, they have more benefits from the Government. The Government there is giving some allowance till the unemployed person gets a job. This sort of a scheme can be thought of here also and some sort of allowance can be given to the unemployed people till such time they get some suitable employment. So, in heart of hearts I welcome the Resolution brought by Dr. Subbarami Reddy, I think, economically it will be very difficult for us to implement it. As I have mentioned, we have the Directive Principles of State Policy. As along as we are not economically sound, we cannot implement all these things. Thank you.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय, महोदय, यह लाया गया संकल्प विचार करने योग्य है। देश ही नहीं दुनिया के हर इन्सान की आवश्यक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है जिसका सीधा संबंध रोजगार से है। आज रोजगार की समस्या देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण और भी जटिल तथा कठिन होती जा रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि इस देश की विडम्बना है कि जिन लोगों ने ऊसर परती बंजर जमीन तोड़कर कृषि योग्य भूमि बनायी, वे ही आज भूमिहीनो की श्रेणी मे है। लेकिन जिन लोगों ने केवल कागजों की हेराफेरी की और खेत की मिट्टी हाथ से नहीं छुई, वे ही लोग आज लैंडलार्ड और जमींदार बने हुए हैं। ज्यादातर आजादी के बाद कांग्रेस के लोग सत्तासीन रहे। अगर इन्होने कोई व्यवस्था की होती तो शायद ऊसर परती बंजर जमीन तोड़ने वालों का कुछ न कुछ जरूर हित हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है।

महोदय, जो हमारा देश है आज भी उसकी 70 प्रतिशत पापूलेशन खेती पर निर्भर है। लेकिन खेती मे पहले श्रेष्ठता मानव श्रम को दी जाती थी। इसलिए जो लोग काम करते थे,

मेहनत करते थे उनके हाथों को काम भी मिल जाता था, लेकिन अफसोस है कि आज उनके हाथ रहते हुए भी उनको काम मयस्सर नहीं हो रहा है क्योंकि आज खेती में भी मशीनीकरण और आधुनिकीकरण हो गया है जिसके कारण खेत की जुताई, बुवाई, कटाई, पिसाई, कुटाई सारा काम मशीनों से होता जा रहा है और जो काम दस आदमी करते थे, इन मशीनों के द्वारा वही काम दो आदमी कर रहे हैं। गांव के आठ आदमी बेकार हो रहे हैं और गांवो से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। लेकिन शहरो मे भी आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के नाते उन हाथो को काम नहीं मिल रहा है, जिसका नतीजा यह रहा है कि देश मे हर चीज महंगी होती जा रही हैं लेकिन आज देश का श्रमिक सबसे सस्ता होता जा रहा है, जो चिंताजनक बात है। महोदय, मेरी राय में आज जितनी भी कृषि योग्य जमीन है लगभग उतनी ही जमीन तराई क्षेत्र मे ऊसर परती के रूप में, बंजर के रूप मे, नदियो के किनारे, ताल-तलैयाओ के किनारे, आज भी बेकार पड़ी हुई है। मेरा सुझाव है कि अगर यह सारी जमीन उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आज भी कोई न कोई व्यवस्था करके आवंटित कर दी जाए तो उन हाथों को रोजगार भी मिल जाएगा और देश की भी समृद्धि बढ़ेगी। इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो नहीं किया लेकिन आपसे देश की जनता आशा लगाए हुए है। इसलिए आप कोई न कोई उपाय निकाल करके इन जमीनों को खेतिहर मजदूरों को आवटित करने का कार्य कीजिए। आज आवास की भी समस्या बहुत ही जटिल समस्या है और गांवों से पलायन करके लोग शहरों के किनारे, नदी-नालों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर किसी न किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और आज भी शहरों में प्राय: सुन्दरीकरण के नाम पर उन बेसहारा आश्रय वालों को हटाने का काम किया जाता है। वैसे तो यह सरकार आवास बनाने के लिए तथा रोजगार दिलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। मैं आशा करता हू कि इन कार्यक्रमो द्वारा रोजगार में वृद्धि भी होगी और आश्रय भी मिलेगा। वैसे तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक देश का आखिरी व्यक्ति खुशहाल नहीं होगा, देश की समृद्धि एवं आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। इस देश मे आजादी के बाद सब से ज्यादा सत्तासीन कांग्रेस रही, लेकिन इन लोगो ने इस तरफ कतई ध्यान नही दिया। महोदय, मैं अपनी तरफ से यह राजग सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ़ स्टेट पालिसी मे, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों मे जैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष की बात रही, उसके लिए आज यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बधाई की पात्र है कि आज उस 6 वर्ष से 14 वर्ष की बात को मौलिक अधिकारों में ला दिया। कॉश, अगर यही कार्य कांग्रेस ने अपने जमाने मे कर दिया होता तो मेरी राय में आज कोई अशिक्षित नहीं होता, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, यह सरकार ने किया तो है। मैं आशा करता हूं कि इसका कार्यान्वयन किया जाएगा और साक्षरता में भी बढ़ोत्तरी होगी। इसी तरह से, मैं आशा ही नहीं, सरकार से भरोसा करता हूं कि जिस तरह से अनेको कार्यक्रम, प्रधान मंत्री सड़क योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना तथा आवास बनाने की योजना चला करके प्रति साल रोजगारों में बढ़ोत्तरी की जा रही है, उसी तरह से निकट भविष्य मे सरकार आश्रय का अधिकार, रोजगार का अधिकार और काम का अधिकार भी मौलिक अधिकारों के रूप में लाने का विचार करेगी। धन्यवाद।

DR. DASARI NARAYANA RAO (Andhra Pradesh): Thank you, Vice-Chairman, Sir. I rise to support the Resolution moved by my friend, Dr. T. Subbarami Reddy. It is really appreciable that an industrialist has

broughtforth this Resolution -- Right to Shelter, Right to Employment, Right to Work. But these issues are not new. Successive Governments which have come to power after Independence, have been talking about this. When Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister of India, she particularly gave the slogan *roti, kapda aur makaan*. But how will you get work? That is the major thing. Regarding shelter, Dr. Reddy has given certain good suggestions. I do agree with them. But when it comes to 'Right to Employment and Right to Work', I would say 'employment' and 'work' both are same things. Both these things come under one head. So, 'work' is the main thing. One great writer has said, "Whoever is born in this world, is not born with just one mouth, but two hands also." My interpretation is like this: 'One hand is to feed you, and the other is to feed the neighbour.' So, if you want to feed the neighbour, you should have work. Whoever is born in this world, has got the right to live; and whoever has got the right to live, has got the right to earn. If he has got the right to earn, he should have the right to work also. But it is interpreted like this. 'The benefits from right to work can be increased, if the focus of works is on water-harvesting structures, bunds, nullah bunds, and similar structures, which require less material component'. The Prime Minister has highlighted the problem of depleting ground water levels across the country. The Right to Work Scheme would not only provide employment, but it would also help us in developing ground water resources. This is a very important factor. But the problem is: How to get work? This is the biggest problem. Especially, if you look at the people living below the poverty line, you will find that they are starving because they don't have work. And, unfortunately, today, they are on the roads; they are begging on the roads. I should compliment the Prime Minister for bringing this 'Food-for-Work Scheme,' Sir, it is a good scheme. Before supporting this Bill, I would like to reveal some hard facts of this scheme. The purpose of this scheme is: If you work hard, you will get food. This is the aim of the scheme. It is a wonderful scheme. And most of the Governments are adopting it. But how far is this scheme successful? I would like to know whether it is reaching the beneficiaries or not. I regret to say, it is not reaching them. You take the example of my own State, Andhra Pradesh. For Andhra Pradesh, about 15,77,111 tonnes of foodgrains were released. That means, roughly, about Rs. 850 crores worth of foodgrains were released. So, with this Rs. 850 crores worth of foodgrains, they should have been able to create an infrastructure worth the same amount. But, unfortunately, no asset was created. Okay, they may not have been able to create any asset, but where have all these foodgrains

gone? I would like to know whether this Rs. 850 crores worth of foodgrains have reached the common man; the worker, or not. No; it has not reached. Actually, it is not Food-for-Work Scheme, it is food-for-contractors scheme; it is food for some party workers scheme. ...*(Interruptions...* These foodgrains are being diverted. ...*(Interruptions...*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Can you vouchsafe this?

DR. DASARI NARAYANA RAO: I will prove that. ...*(Interruptions...*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: You are not expected to speak on the performance of the State Governments here. You should only speak on the subject. ...*(Interruptions...*

DR. DASARI NARAYANA RAO: This scheme is for all the States. (Interruptions) Your own Chief Minister suspended one MLA's husband yesterday. ...*(Interruptions...*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Did you ever visit that place? *(Interruptions)* Did you ever visit? ...*(Interruptions...*

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, one crore worth of foodgrains were diverted. ...*(Interruptions...*

Sir, it is a very small example. ...*(Interruptions...*

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या (आंध्र प्रदेश) : जो विषय चर्चा के लिए है, उस पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप की भावना यहां नहीं चलेगी ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठिए।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: वह चाहे जो मनमाने ढंग से बोलते रहेंगे, ऐसे हाउस चलेगा क्या?...**(व्यवधान)**...

DR. DASARI NARAYANA RAO: It is happening every day. ...*(Interruptions)*... What I would like to bring to the notice of the hon. Minister is that, all should reach the people. The scheme was introduced to give work to the schemes introduced for the upliftment of the people ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ... *(Interruptions)*... Sir, what I want to say is that the foodgrains are given for helping the people living below the poverty line, and they should reach them. But it is not reaching them. It does not matter whether it is Andhra Pradesh or any other State; the main thing is that the foodgrains should reach the people, but that is not being properly utilized. I want that the Government should have a check on this. You should have a machinery to intervene in this. It is the public

money. You are spending public money on Government expenses. The purpose for which this Scheme has been launched, should be fulfilled. The benefits of this Scheme should reach the poor man. When the benefits are not reaching the proper man, it is the responsibility of the Central Government to intervene and put a check on what is happening over there. What is the point in spending crores of rupees for this? We are passing Bills; we are passing Resolutions..*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: if that is the case, you better oppose the Resolution ...*(Interruptions)*...

DR. DASARI NARAYANA RAO: No, I want to explain the position. I want this Resoultion to be implemented. This is what I am saying. This is what I want, except this thing ...*(Interruptions)*...

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: रेक्टिफाई कब पूछा जाता है जब कुछ गलत हो। यहां जवानों को किसानों को गरीबों को गांव मे काम देकर अनाज दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...आप आंध्र प्रदेश के किसानों की सोच की बात करिए।...**(व्यवधान)**...

DR. DASARI NARAYANA RAO: Your Chief Minister has suspended ...*(Interruptions)*... Your Chief Minister has accepted it ...*(Interruptions)*... Your Chief Minister, Shri Chandra Babu Naidu, has accepted it..*(Interruptions)*...

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: ठीक है आप बिल को अपोज कीजिए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपको जवाब नहीं देना है। सरकार जवाब देगी। आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

DR. DASARI NARAYANA RAO: One MLA's husband has been suspended by the Chief Minister of Andhra pradesh ...*(Interruptions)*... This had been stated in the newspaper ...*(Interruptions)*...

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: उपसभाध्यक्ष जी सदन में बात करते समय कूछ आधार रहना चाहिए।**(व्यवधान)**...

DR. DASARI NARAYANA RAO: Many crores of rupees are being diverted ...*(Interruptions)*... The public money is being diverted. It is being misused..*(Interruptions)*... This is an official report.

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सर पब्लिक का है पब्लिक के लिए करते हैं पब्लिक के वास्ते है सरकार पब्लिक की है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप माननीय मंत्री जी का जवाब मत दीजिए। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। आप बैठ जाइए प्लीज। ...**(व्यवधान)**...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Mr. Vice-Chairman, Sir, he has started levelling allegations against the state Government; and the State Minsiter cannot come here to defend himself ...*(Interruptions)*...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): सर यह आपनी परमीशन से बोल रहे हैं?...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपा करके बैठें। मैंने परमीशन दी है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: He is levelling sweeping allegations against the State Government, based on some Press reports. it is such a big scheme that we are implementing in our state. There might be one or two aberrations or irregularities, for which we are continuously reviewing the Scheme. We have initiated action aginst some of the erring officials. That does not mean that the entire State is doing this ...*(Interruptions)*... Sir, he does not have the time to go theire.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपकी बात आ गई है। जो आप एक दो इंसटांस बता रहे हैं वह मंत्री जी देख लेंगे।...(**व्यवधान**)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: How can the hon. Union Minsiter clarify the position on behalf of the State Minister? He does not have the information.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपा करके बैठ जाएं।

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, I am not attributing anything to the state Government. I am only referring to the Scheme. The Scheme is being misused. This is what I want to bring to the notice of the Government, becasue, already, the Chief Minister has taken action against some of the people, but like this, at so many places, so many crores worth of foodgrains are being diverted. It is happening in Andhra Pradesh; it can happen in some other places also. What I want to bring to the notice of the Hon'ble Minister is that when you bring such Resolution, you should put a check on that so that the aims and objectivies of the Scheme are perfectly fulfilled. Thank you very much.

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : उपसभाध्यक्ष महोदाय मैं डा. सुब्बारामी रेडडी जी का मोतीलाल वोरा जी का जो चले गए हैं, सरला माहेश्वरी जी का, बी. पी. सिंहल जी का, मूल चंद मीणा जी का, सी. पी. तिरुनावुक्कारासु जी का, गॉधी आजाद जी का, दसारी नारायण राव जी का आभारी हूँ, जिन्होने इस चर्चा में भाग लिया।

उपसभाध्यक्ष महोदाय, डा. सुब्बारामी रेडडी साहब ने संविधान में तीन बातों को फंडामेटल राइटस में रखने के लिए यह बिल लाया है। मैं मानता हूं कि बहस बहुत विस्तार से हुई है। सरला जी तो यहां से चली गई है, लेकिन उनका भाषण एक दार्शनिक भाषण था। उन्होंने ऐनलाइस किया दुनिया की परिस्थिति को। सिंहल जी का भाषण अधिकार पर ही ज्यादा था, उनकी बात हमको ज्यादा मुफीद लग रही थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय (पश्चिम बंगाल) : राइट्स क्या हैं, यह उनको मालूम नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आपने सर्टिफिकेट दे दिया सिंहल जी को।

श्री शरद यादव : आप यहां नही थे।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) : यदि कर्त्तव्य को जानते हैं तो अधिकार अपने आप आते हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) : : आप जानते हैं कर्त्तव्य क्या होता है?

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के बारे में जो कहा था, तो हमारे पास दोनों तरह के सर्वे हैं कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनका रोजगार घटा है .5 परसैंट और जो अनआरगेनाइज्ड दिहाड़ी मजदूर है, डेली वेजिस हैं, उनका रोजगार बढ़ा है .98 परसैंट।

श्री जीवन राय : ऐसा कभी होता है, मेरे से भी होता है कि हम एक ही सैट लगा देते हैं स्पीच का सब जगह पर, जो ऐजेंडा आता है, उसमें लगा देते हैं, कम से कम मंत्री जी से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेज़ोल्यूशन पर जो बेसिक रिएक्शन पालिसी का होता है। राइट टू वर्क, राइट आफ ऐम्प्लायमेंट या राइट आफ शेल्टर, ये तीनों चीजें हो जाएंगी, केवल यही बात नहीं है। इन तीनों चीजों को अपनाने के लिए राष्ट्र की, स्टेट की पालिसी डायरेक्शन्स क्या हैं? अभी हम चाहते हैं कि स्टेट की बेसिक डायरेक्शन्स क्या हैं इसको ऐचीव करने के लिए, आप बताएं? आप अलग भी हो सकते हैं कि हमने अभी यह छोड़ दिया है, भगवान पर छोड़ दिया है, ये तीनों चीज होने वाली नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। आप मेहरबानी करके तीनों चीजों का बेसिक डायरेक्शन आफ दि स्टेट क्या होगा, वह बता दें। अनआरगेनाइज्ड या आरगेनाइज्ड का यह सवाल नहीं है।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : उपसभाध्यक्ष जी, अगर मंत्री जी इजाज़त दें तो उनकी स्पीच से पहले मैं भी एक बात कह दूं।

श्री शरद यादव : अब तो बोलने दीजिए, शाम हो गई है।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इतनी सी बात है कि राइट टू वर्क, राइट आफ ऐम्प्लायमेंट या राइट आफ शेल्टर, ये तीन स्पेसिफिक चीजें आज हमारे बीपीएल या नीचे के स्तर के लोगों के लिए हैं। एक तो स्टेटेस्टिकल पोजीशन वे बता देंगे कि इसके डाटाज़ क्या हैं? उसके बाद क्या पालिसी गवर्नमेंट की हैं उसको कवर-अप करने के लिए, यही हम जानना चाहते हैं?

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूं। वह जो चाह रहे हैं कि सम्पूर्ण छलांग लगा दूं तो यह मेरे लिए संभव नहीं है, न इतनी छलांग मेरे बस की है। सरकार ने जो वचन दिया है, प्रधान मंत्री ने जो बार-बार बोला है उसके बाबत 1998 से 2002 तक हमने 20,00,000 मकान बनाने के लिए बोला था, लेकिन इस दरम्यान हमने 80,00,000 मकान बनाए। ..(**व्यवधान**).. राय साहब, आप यहां थे नहीं, बहुत से सवाल उठाए गए, आप लेट आए। आप यहां थे नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ..(**व्यवधान**).. हमको आप बेलगाम रहने दीजिए। हमारी लगाम उपसभाध्यक्ष जी के हाथ में है। वे

यदि लगाम लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे। वे बहुत अनुभवी आदमी हैं, बहुत पुराने आदमी है ....(व्यवधान) हमारे जैसे आदमी को तंग करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बातें कही गई हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998 से लेकर 2000 तक 80 लाख मकान कंस्ट्रक्ट किए गए। काम का अधिकार सबको मिलना चाहिए, यह बात सही है। निश्चित तौर पर इस देश में जो गरीबी है, यही हमारा दुर्भाग्य है और यही इस देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा है। मैं यह मानता हूं कि काम का अधिकार हर इंसान का पैदाइशी हक है। हमारी आज़ादी को आज 55 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक इसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने सच्चाई से इस दिशा में प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है। यह मैं सिर्फ अपनी सरकार की बाबत नहीं कह रहा हूं। पिछली सरकारों ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं। इसके लिए लोगों ने संघर्ष और संग्राम भी किए हैं ताकि देश की सूरत और सीरत बदले। यह सब कुछ हुआ है।

महोदय, पिछले दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उसकी बाबत सरकार ने जो कुछ किया है, इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, रूरल डेवलपमेंट पर वर्ष 2001-2002 में हमने 8,080 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री संपूर्ण रोजगार योजना पर वर्ष 2001-2002 में 4,989 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 1999-2000 में 500 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-2002 में 2,375 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना पर वर्ष 2001-2002 मे 815 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट पर वर्ष 1999-2000 में 3,034 करोड़ रुपए और वर्ष 2000-2001 में 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महोदय, जो नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें 54,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च किए जाएंगे और उससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। Roads and making the posts पर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे की सेफ्टी पर हम 17,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में वर्ष 1998-99 में 135 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जब कि वर्ष 2001-2002 में इस पर 293 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खादी और ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 2001-2002 में 150 करोड़ रुपए रखे गए थे। अगली योजना में इस पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। इसलिए वर्ष 2001 से लेकर 2007 तक इसके लिए 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूं कि यह राशि भी कम है लेकिन हमारी जितनी चादर है, हम उतने ही पैर फैला रहे हैं।

महोदय, मोतीलाल वोरा जी ठीक कह रहे थे कि हम महात्मा जी से कट गए, इसी वजह से यह देश यहां पहुंचा है। जैसी उनकी कल्पना थी, यदि उनके कार्यक्रम को हमने और आपने माना होता तो यह देश इस हालत में नहीं पहुंचता।

महोदय, के.वी.आई.सी. के लिए हमने वर्ष 1999-2000 में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और वर्ष 2001-2002 में इसके लिए हमने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। पावर सैक्टर में वर्ष 1999-2000 के लिए 19,157 करोड़ रुपए का ऐलोकेशन था, और वर्ष 2000-2001 में यह ऐलोकेशन 23,645 करोड़ रुपए था। हैल्थ एंड वेलफेयर में 1999-2000 में 4139 करोड़, 2000-2001 मे 4920 करोड़ रुपए, ह्यूमेन रिसोर्सेज में जो बजट एलोकेशन पिछले रहे 1999-2000 में 6376 करोड़ रुपए, 2002 तक 6910 करोड़ रुपए। अभी वोरा जी यहां से चले गए हैं, राइट टू एजुकेशन की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है। बिल आने वाला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : 14 तारीख को आ रहा है।

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, जो एक करोड़ को रोजगार देने की बात कही जा रही थी मैं उसको निश्चित मानता हूं। जो शिक्षित लोग हैं, इस बारे मे एक कहावत है:

'पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत के खेल'

इस कहावत ने इस देश का सर्वनाश किया है।.......**(व्यवधान)** आप सुनते ही नही हैं, मै तो आपकी बात ही कह रहा हूं। आप सुनना ही नही चाहते।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : : जीवन राय जी, कई माननीय सदस्यों ने यह सवाल पूछा है, इसलिए वह उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मेरी रक्षा करिए। यह मेरे अच्छे मित्र है, बाहर ठीक बोलते हैं, अंदर गड़बड़ कर देते हैं।

इस कहावत के अनुसार मैं निश्चित रूप से मानता हूं। किसी भी इसान की सतान बेकार और बेरोजगार नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश मे जो उत्पादन करने वाले है, श्रम करने वाले हैं, पसीना बहा कर दौलत बनाते हैं उनके प्रति हमारा नजरिया सदियों से खराब रहा है। यह कोई अचानक नहीं हो सकता है। 'पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत के खेल' वाली कहावत का मतलब है कि जो इंतजाम करने वाला है प्रबंध करने वाला बाबू है और मैनेजर है, उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन जो उत्पादन करता है, गिट्टी तोड़ता है, खेत खलिहान बनाता है उसको रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्रयास है कि हिन्दुस्तान का जो आदमी अंतिम है, जो बनिहार है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसको पूरी मजदूरी मिले। यही हमारी दिशा है, हमारा कदम है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कह दूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के हमारे जो 50-52 वर्ष है, इस कालखड मे हमको अपने कामो की उपलब्धियों को बारीकी से देखना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। मै एक मित्र के नाते नही बोल रहा हू, सदन के सदस्य के नाते बोलना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, आप तो गंगनहर के बाजू के आदमी हैं। यह जो गंगनहर का इलाका है। इसमें इंसान की जिंदगी ज्यादा बेहतर और बढ़िया क्यो है? पूरा हिन्दुस्तान तो गुलाम था तब गंग नहर आई थी। यहा के लोगों की माली हालत बदली है। इस देश में जितनी बहस यहां हो रही है राइट टू वाटर जो कहा गया तो राइट टू वाटर पीने वाला नहीं है, पीने भर का तो अपने आप आ जाएगा। आप खेत को पानी से जोड़दें। जहां आपने आजादी के बाद खेत को पानी से जोड़ा है चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे देश के दूसरे हिस्से हों, मैं देश भर में घूमता हूं, जहां पानी है वहां आदमी के चेहरे पर पानी दीख जाता है। अभी ढिंडसा साहब चले गए, वह बतला रहे थे। जिस अंतिम आदमी की बात हम कर रहे हैं, उसके बारे में पूछा कि उसकी दिहाड़ी कितनी है? वह कह रहे थे कि फसल के समय डेढ़ सौ रुपया, दो सौ रुपया है और अभी हमारे यहां 100 रुपया चल रही है। मैं जिस इलाके से आता हूं यहां नहर है। मेरे बचपन के काल में लोगों की मजदूरी डेढ़ रुपया थी, आज मेरे यहां डेढ़ सौ रुपया, दो सौ रुपया की मजदूरी है। 20-25 साल में पानी के चलते हिन्दुस्तान की तकदीर कहीं बदली है तो जहां खेत से आपने पानी जोड़ा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री प्रताप सिंह कैरो थे। इस देश के सब लोग वहां से कारखाने ले गए। कोई भिलाई ले गया, कोई राउरकेला ले गया। आज उनकी दशा क्या है? राजस्थान में गंगा नगर है। मैं चौ0 देवी लाल जी के साथ काम करता था। मैं

उनके साथ एक बार इंदौर के पास जाने लगा तो रास्ते मे मऊ का इलाका था। जब मऊ निकल गया तो उन्हें बड़ी झुंझलाहट के साथ बड़ी तेजी से झटका आया और बोले कि मऊ निकल गया। मैंने कहा, निकल गया। बोले कि वापिस लो और वापिस लिया। वापिस जाकर जिससे पैसा लेते थे, उन्होंने किस्सा बताया कि मैं बचपन मे यहा अपने पिता के साथ, दादा के साथ जानवर लेकर आता था। यहा सूखा पड़ जाता था, तीन दिन तक खाना नहीं बनता था। वह गंगानगर आज राजस्थान का एक तिहाई उत्पादन सिर्फ पानी के चलते करता है। निश्चित तौर पर सुब्बारामी रेड्डी साहब ने जो बहस और डिबेट की है, काश ....

श्री जीवन राय : गंगानगर में सब ...**(व्यवधान)**..वहा स्थिति बहुत खराब है।

श्री शरद पवार : राय साहब, आपको मेरे साथ दौरा करने चलना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मै इनसे यह कहना चाहता हू कि यह मेरे साथ वहा चलें। मैं सदन में जो कह रहा हूं वह सत्यता के साथ प्रमाणिक तरीके से बोल रहा हूं कि जिन इलाको मे पानी गया है - वहां, जिस आदमी के लिए आप लड़ते हैं, उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा बदली है, जो अंतिम आदमी है। यह शहर मे रहे हैं, राउरकेला मे ये मजदूर नेता थे। इनकी असली कमी ही यह है, इसके चलते ये फेल हो गये।

श्री जीवन राय : आप लोगों के चलते ही...**(व्यवधान)**.. बोलते हैं, ..**(व्यवधान)**.. करते हैं। ..**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय जीवन राय जी, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री शरद यादव : हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। ..**(व्यवधान)**..

श्री जीवन राय : खाली खेती होने से ही गरीबो का उद्धार नहीं होगा। गंगानगर में मैं कई दफा गया। गरीब की हालत खराब है। ऐसी बात मत बोलिए...**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जीवन राय जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्रीमती गुरुचरण कौर (पंजाब): आप क्यों बीच-बीच में... ..**(व्यवधान)**..

श्री जीवन राय : आप चुप रहिए। ..**(व्यवधान)**..मजदूर नेता ..**(व्यवधान)**.. हमको नही बोलते, सबको बोलते हैं। आप क्या कह रहे है? ..**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): जीवन राय जी, कृपा करके अब सुनिए। ..**(व्यवधान)**..

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे इतना छेड़ा, मैं तो नाराज नही हुआ और ये बहुत नाराज हो रहे हैं। ..**(व्यवधान)**..

श्रीमती गुरुचरण कौर : आप सुनिए तो सही, वे क्या कह रहे हैं। ..**(व्यवधान)**..

श्री शरद यादव : आप नाराज मत होइए। मै सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि उससे संपूर्ण स्वर्ग नहीं उतर आया है। आप सही कह रहे हैं कि उससे संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बेकारी और बेरोजगारी वहां भी है और वह पढ़े लिखे लोगों में है। गंगानगर में भी,

पंजाब मे भी और बाकी इलाकों में जहां पानी गया है, लेकिन जो सबसे गरीब आदमी है मैं उसकी बात कह रहा हूं कि उसकी जिंदगी बदली है। जहां पानी गया है, वहां गरीब आदमी की जिंदगी बदली है और मैं यह सत्यतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): यह सही बात कह रहे हैं।

श्री शरद यादव : इसके अतिरिक्त जो तीन करोड़ तीस लाख मकानों की जरूरत पड़ी तो करीब पचास हजार करोड़ रुपये इसके लिए चाहिए। यह देश का सामर्थ्य नहीं है। राइट टू वर्क मे बेरोजगारी भत्ता दे, इससे सरकार पर जितना बोझ आएगा और यह सरकार तो हम लोग दो-तीन वर्ष से चला रहे हैं। देश तो पचास साल से चल रहा है और मैं नहीं मानता कि पिछले लोगों ने इसको नहीं किया तो उन लोगों की नीयत खराब थी। इंदिरा जी ने इंदिरा आवास योजना चलाई। 80 लाख मकान उनके मेरे पास लिख रखे हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जो गरीब आदमी की जिंदगी से वास्ता रखती थीं, जिनसे उनका सुधार भी हुआ। कई जगह जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि जमीन पर - उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर पिछले सालों में सारी सरकारों का ध्यान जमीन पर गया होता, जो यहां से गरीब के नाम पर पैसा गया है, उस पैसे का जमीन पर पूरी तरह से, ईमानदारी से वह खर्च होता तो निश्चित तौर पर देश इस बुरी हालत में नहीं होता, जहां आज हम खड़े हैं। आज हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां अगर हम किसी एक चीज का इलाज करने जाते हैं तो दूसरी तरफ दूसरी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसलिए चाहे राइट टू वर्क हो या राइट टू शैल्टर हो, मैं सुब्बारामी जी के सपने के लिए उनको दाद देता हूं और इसमें जो शिरकत की है - सरला जी थीं, मोती लाल वोरा जी थे, सिंहल जी थे, मीणा जी थे - सभी माननीय सदस्यों ने बहुत दिल से और हृदय से अपनी बात कही है। उन सबने जो चिंता व्यक्त की है, वह सही में इस देश की जमीन की चिंता है लेकिन सरकार की एक सीमा है। उस सीमा में रहकर यह काम संभव नहीं है। काश यह संभव होता लेकिन यह संभव नहीं है। मंत्री के नाते मना करते हुए मुझे तकलीफ होती है लेकिन हमारी सीमा में यह काम करना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और डा. सुब्बारामी रेड्डी से विनती करता हूं कि यदि इसे विदड्रॉ करलें तो अच्छा होगा।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am rather surprised, shocked and disappointed at the reply of my friend, Sharad Yadavji. I think he did not apply his mind to the suggestions that I gave; how to rectify the present position and help this nation in the fields of shelter and employment. He has totally forgotten them. He did not touch that point at all. He repeated, in a general way, that Rs.500 or Rs.600 crores have been given. It is not possible. Yes, everybody knows it. We cannot make it happen overnight. We cannot expect the country to solve this problem overnight, and give shelter and employment to everybody. I know that it is not possible. But I gave some suggestions. Regarding shelter, I mentioned that you need Rs.1,21,000 crores, in ten years, to provide 3.3 crores of houses. I am giving these facts, as per the data available in the Parliamentary Library. You did not apply your mind to it.

An amount of Rs.1,21,000 crores means, you need Rs.12,000 crores per year, for ten years. You may not have it in the Budget. But there are methods. As I have mentioned, institutions, banks, industrial units, etc. are there. A Corpus Fund has been created for the National Highway Development Project.

How have we done it? Today, you are collecting Rs.3,000 crores, yearly, towards the Cess Fund from the sale of diesel and petrol. You must create some fund like that. You can also get money from various institutions which may, probably, sacrifice some funds for this noble national cause. हो गया, पचास साल से everybody tried various schemes. But nothing could take place. Now, we are in the 21^{st} century. We should not think of only one day. नहीं कर सके, पैसे नहीं हैं, कुछ नहीं होता। This is not the point. There is a way. A scientific, revolutionary, system must come in the country. It is possible. I am not asking you to do it in one day. You can take ten years. The Government has committed. The Prime Minister has committed that, in ten years, they would provide houses to every citizen in the country. We all agree that you cannot do it overnight. You have got a period of ten years. There is a method. I gave him some suggestions. But in his reply he never touched upon my points. He touched upon the points raised by some other people who gave general suggestions. No concrete suggestion has been made by those people, whom he has mentioned. Therefore, I am saying that if he wants me to withdraw this Resolution, I want a categorical assurance from the Minister as to how he and the Government are going to solve this problem. I don't see any overnight solution to this problem. But how are you going to give a new era to the people? The same Government will not be there for ten years. So many Governments may come and go. But you should make a start today; you should lay the foundation today. You must try for it. Regarding employment, "Yes, I agree with you". It is very vague; it is very difficult to commit that overnight, you will give employment to everybody, because employment is interlinked with so many things; for example, industrial sickness. But he did not touch this point regarding employment at all. I said in my speech that the employment situation was miserable today. It is so because industries fell sick. No new industries are coming. The potential has totally disappeared. The Minister did not touch that point at all. I feel very sorry. Therefore, I want the Minister to clarify how they are going to create more employment potential. I don't say that, overnight, every citizen of the country must get employment. But there is a method. Therefore, when you have this legislative system, there should be inspiration,

commitment and motivation on the part of the Government. They have to say, "Yes, we have got the motivation and commitment to do something". It may not be possible overnight. But there are systems. Fifty years ago, the US and Japan were not what they are today. Likewise, as you have mentioned, when you were a child, the wage was Rs.1.50 in India. Today, it is Rs.120. The country is growing. जो हो गया सो हो गया। भविष्य मे अगर मन और दिल की शक्ति है तो सब संभव होता है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं यह बात कहता हू कि आपको मन और दिल से वादा करना चाहिए और Our Government must say in this august House, "Yes, we are going to take up this issue and apply our mind". It should say that in the future Budget or in the course of the transactions of this Government that they are going to create more employment. I want an assurance from him.

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं रेड्डी साहब की बात को मानता हूं जो उन्होने कही है। सरकार इस बात को मानती है कि रिसोर्सेज के बगैर यह काम नहीं हो सकता। इसलिए रिसोर्सेज बढ़ाने का काम भी होगा और नीचे तक यह कैसे पहुंचे और ठीक और दुरुस्त तरीके से पहुंचे, इस पर भी हम सबसे बात करके कोई रास्ता निकालेंगे लेकिन मैं उनसे अंत में निवेदन करूंगा कि नाजुक समय को देखते हुए वे इस प्रस्ताव को वापस लें।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, we have broken our heads and our throat is burning. मंत्री जी ने एक मिनट में बोल दिया कि सब हो जाएगा। Therefore, I am thankful that the Minister has at least said, आगे करेंगे बोल दिया But I want a clear cut commitment from him. He is a member of the Council of Ministers. If he makes a commitment, it is a commitment of the Government. ...*(Interruptions)*... Sir, the Leader of the Opposition is sitting here. I am saying this in the presence of Dr. Manmohan Singh. It should not be that we make speeches here and after that we have a cup of coffee and the matter ends. No, it should not happen. We have to do it for this country. आपको भी एक मौका मिल गया, आप बड़े ट्रेड यूनियन लीडर हैं और गरीबो की मदद करने वाले हैं और आपके दिल में गरीब की मदद के लिए भाव है।

You must take this opportunity. The Government must make a commitment. He has just said बाद में हम देखेंगे। You must make a commitment here as to how you are gonig to do it. Then only I will withdraw. I would request the Minister to give such an assurance.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप वापस ले रहे हैं?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: He has not given an assurance.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): विदड्रा कर रहे हैं आप?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I will not withdraw unless the Minister makes a commitment. ! have great respect for him. He is a friend of mine. He is a gentleman. But, at the same time, business is business and country is country. The welfare of the people is before him. I want him to make a commitment that this Government will work it out. I want this commitment.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : वापस नही ले रहे हैं? मंत्री जी कुछ बोलेंगे।

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है वह बात सही है और इस दिशा में सरकार प्रयासरत है और प्रयास करेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : रेड्डी साहब, यह बात तो मैं पूछूंगा, आप मत पूछिए। माननीय सदस्यों से यह बात मैं पूछूंगा कि विदड्रा करने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। आप विदड्रा कर रहे हैं या नहीं? कृपया बताएं कि विदड्रा कर रहे हैं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Let me ask my colleagues from the BJP, "Will they be happy if he does not make a commitment?" Don't you want to help the poor people and provide them with shelter? Irrespective of party affilations, everybody wants to help the poor people.

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिम बगाल): सर, वे चाहते हैं कि यह कहें कि वे कटिबद्ध हैं समस्या का समाधान करने के लिए। कोशिश नहीं, बल्कि कटिबद्ध हैं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Is there anything wrong in making a request to the hon. Minister? Are we not intersted in helping the poor people of this country? I am happy that the Government has come forward. They have committed to provide shelter to everybody in ten years. It is quite laudable. In view of the commitment made by the Government on this, which is a noble cause, I would like ask the hon. Members present here: Do you want me to withdraw this Resolution without getting any assurance from the Government? I am asking this question ...*(Interruption)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप विदड्रा कर रहे हैं या नहीं?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am only saying ..*(Interruptions)*...
उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय रेड्डी जी, यह काम आपका नहीं है। इसको मैं करूंगा कि आपको अनुमति दी जाती है या नहीं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am requesting you also, Sir, to ask the Members about my 'nivedhan'.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): मोतीलाल वोरा जी का जो संशोधन था, पहले मैं उसको रख रहा हूं।

प्रस्ताव यह है कि -

"'और काम का अधिकार' शब्दो के स्थान पर 'काम का अधिकार', 'शिक्षा का अधिकार' और 'पेयजल का अधिकार' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए"

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, the point is, I don't want any voting. I will withdraw it even if he is not prepared to commit himself to it. I am only giving an opportunity to the Minister. If he is prepared to give a commitment, then, we will be very grateful. But, I will withdraw it even if he is not giving any commitment.

THE MINISTER OF DISINVESTMENT AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI ARUN SHOURIE): Sir, actually, everybody in the House is in agreement with the sentiments expressed by Dr. Reddy. There are two questions on which I think, all of us agree. And, Dr. Reddy, please see whether this would be a substantial step in the direction which you want. The point of this Resolution is one of making these things as Fundamental Rights. That, actually, means a right against the State. It means, if I don't get shelter, if I don't get a job, if I don't get employment, then, I have a right to sue, whether it is the Prime Minister of India or Collector or some person. That is the meaning of Fundamental Right. All of us agree that this kind of a litigation will not provide jobs except for the lawyers and others. That is the point about this Resolution. You are completely right on the two points that you have emphasised. I think, the Minister was also agreeing with you. One is that it would really require innovative ways of raising finance for infrastructure development, whether it is irrigation, as the Minister has said, or shelter, as you were saying. The Government finances are what they are. Unless we are able to have new ways of raising finance, we will not get anywhere. On that, I assure you that the Government and the Prime Minister's Committees of Advisors on Industry or Finance, are all deliberating on this matter. The second point is, as the Minister was also saying, about implementation; Dr. Manmohan Singh is also here. That is also one of the core issues of the problem. In the North-East, in the last five years, Rs.48,000 crores have been transferred. But we don't find the jobs that, we imagined, would have

been created. We don't find that shelter; we don't find that infrastructure on the ground. So, proper steps for improved implementation are also required. And, the Planning Commission, in its Mid-term Appraisal, has addressed precisely that problem. I can assure you, on behalf of everybody, that both on implementation and on innovative ways of raising funds for infrastructure,...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: What about shelter?

SHRI ARUN SHOURIE: For all kinds of infrastructure, including shelter, irrigation, for everything, the question is, how to raise resources which the Government does not have now? You have to raise them from the market and thereby raise the user charges, etc. to recover that money. These problems will be addressed in the Tenth Five-Year Plan Document which is being finalised these days. And, if they have not been properly addressed, this House itself will get the fullest opportunity to address them because, unlike in the case of the previous Plans, I do hope there will be an opportunity to discuss the Tenth Five Year Plan Document. And, on that, I think, both of us agree that we should constructively work towards that commitment...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: Can it not be under the Directive Principles of our Constitution?

SHRI ARUN SHOURIE: The Directive Principles are a matter of great debate and litigation...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, recently, a case was filed in South Africa on the same issue as to whether shelter and housing should be made Fundamental Rights for the South African citizens.

Then, the verdict was given. The effect of the verdict was that optimum facilities for shelter should be given to the citizens subject to the availability of finance with the Government. That was the verdict given last month in South Africa. ...*(Interruptions)*... They said that optimum facilities should be provided for shelter subject to availability of finances with the Government. ...*(Interruptions)*...

DR. T. SUBBARAMI REDDI: Sir, I am withdrawing my Resolution after getting a satisfactory reply from the Government. The Government has assured us that they would make efforts to provide funds in order to give shelter to the people. As committed, within 10 years, they would be able to provide shelter to every citizen.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय डा0 टी0 सुब्बारामी रेड्डी ने अपने प्रस्ताव को वापस लेने की जो इच्छा व्यक्त की है, क्या सदन उसकी अनुमति देता है?

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुआ।

DANGER OF TERRORISM AND OTHER EVILS

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission, I beg to move the following Resolution:

> "That this House expresses its deep concern over the killings of innocent people all over the country due to terrorism, extremism, naxalism, casteism, etc., and urges upon the Government to put a stop to such killings."

Mr. Vice Chairman Sir, the country is facing a terrifying situation. Today we are scared to read a newspaper or listen to the news in the radio for the fear of listening to killings of innocent people. India is a great country because from time immemorial it has been a unique example of unity in diversity. India is a pluralistic society. It is a land of many religions, cultures, customs and languages. But unfortunately we are witnessing violent situations all over the country, which are causing a threat. Let us recollect a recent incident-- the attack on Parliament. The terrorists attack the representatives of the people who are here to protect people of the country.

Sir, apart from this, terrorism is spreading almost in every state, let it be Jammu & Kashmir, Punjab, Assam or Hyderabad people are scared about their lives and they feel so insecure. We should find out the main reason for these violent attacks and try to eradicate them.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप समाप्त करें।

अब इस सत्र में निजी प्रस्ताव के लिए कोई और दिन शेष नहीं है, इसलिए माननीय सदस्यों के निजी प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होती है।

इस सत्र के बाद तो यह आएगा नहीं, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा।
यह सत्र तो अब इसके लिए नहीं बचा।

अब हम सोमवार, दिनांक 13 मई, 2002 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 13th May, 2002